एशिया के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए
व्यावहारिक नियम-पुस्तक

कृषि संबंधी निर्यातों के लिए विनियमन, मानक और प्रमाणन्

आरएपी प्रकाशन 2007/13

इस नियम पुस्तक की रचना संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन के व्यापार और विपणन प्रभाग तथा एशिया-पेसिफिक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।

सम्पादक एवं लेखक: पॉस्कल लुई, व्यापार एवं विपणन, खाद्य एवं कृषि संगठन

सहलेखक: सिओभान केजी, *ग्राम आधारभूत ढांचा एवं कृषि प्रभाग, खाद्य एवं कृषि संगठन*
जाँ जोसेफ केडिल्होन, आरएपी, एफएओ
पीटर सौसा होईज्स्कोव, आरएपी, एफएओ
नैन्सी मॉर्गन, आएपी, एफएओ

आर्थिक एवं वाणिज्यिक परामर्शदाता : एशिया में फ्रांसीसी दूतावास के सहयोग से।

मूल पाठ की बाह्याकृति : डेनीला पीर्जेन्तिली, व्यापार एवं मार्केट प्रभाग, एफएओ।

अनुवाद: बी.एस. बोरा, अंकोर पब्लिशर्स प्रा. लि. नोएडा, इंडिया

साज-सज्जा : अर्थनेट फॉउन्डेशन, ग्रीन नेट, थाईलैण्ड

हिन्दी पाठ की प्रूफरीडिंग : श्री रमा कान्त शुक्ला

निदर्शन चित्र : अर्थनेट फॉउन्डेशन, ग्रीन नेट, थाईलैण्ड

अन्य आभार : फ्रांस के कृषि एवं मत्स्यिकी मंत्रालय ने एफएओ परियोजना एमटीएफ/आरएएस/212/एफआरए के माध्यम से इस प्रकाशन के सम्पादन का खर्च वहन किया।

विनिर्दिष्ट कंपनियों के उत्पादों अथवा ब्राण्ड नामों का उल्लेख होने अथवा इनके छूट जाने की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की न तो कोई मंजूरी समझी जाए और ना ही समर्थन। इस प्रकाशन में अभिव्यक्त विचार के लेखक (कों) के अपने हैं और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के विचारों को अनिवार्यतः प्रतिबिम्बित नहीं करते हैं। इस पुस्तक में जिन पदनामों का उल्लेख किया गया है और जो सूचना दी गई है और साथ ही किसी देश, राज्य क्षेत्र, शहर अथवा क्षेत्र अथवा इसके प्राधिकारियों के विधिक अथवा विकास स्तर से संबंधित अथवा इसकी सीमाओं अथवा परिसीमाओं का सीमांकन से संबंधित मामलों में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से कोई राय अभिव्यक्त नहीं की गई है। कापीराइट होल्डरों से कोई पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना इस पुस्तिका में दी गई सामग्री को शैक्षिक अथवा अन्य गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए फिर से प्रस्तुत करने एवं प्रसार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है बशर्ते कि स्रोत के बारे में पूरी जानकारी ज्ञापित कर दी जाती हो। इस पुस्तक में दी गई सूचना को कॉपीराइट होल्डरों की लिखित अनुमति के बिना पुनः बिक्री अथवा अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की आज्ञा नहीं है। ऐसी अनुमति के लिए आवेदन पत्र Chief, Publishing Policy and Support Service, Information Technology Division (KCT), FAO, Viale delle Terme di Caracalia, 00100 Rome, Italy या ई-मेल द्वारा copyright@fao.org को भेजे जाएं।

© FAO2007

इस नियम-पुस्तक का उद्देश्य?

उद्देश्य

उत्पादों तथा निर्यातकों को निम्नलिखित सूचना देने के लिए :

- प्रमुख आयात-देशों के विनियमन।
- मुख्य स्वैच्छिक प्रमाणन कार्यक्रम।
- उन जगहों का संपर्क सूत्र देना जहाँ से आयात-विनियमन और प्रमाणन कार्यक्रमों पर अपेक्षाकृत अधिक जानकारी हासिल हो सके।

बहुत से उत्पादक और निर्यातक यह महसूस करते हैं कि प्रमाणित कृषि-उत्पादों के लिए बाजार बहुत ही जटिल रूप में विद्यमान है और प्रमाणन कार्यक्रमों से सम्बद्ध सुअवसर तथा अपेक्षाएं सदैव स्पष्ट नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त, उत्पादकों को सदैव इस बात की जानकारी नहीं होती है कि आवश्यकताएं अनिवार्य हैं अथवा स्वैच्छिक (आयातक देश में शासकीय कानून अथवा विनियमन के रूप में निर्मित)। इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात्, पाठक मुख्य स्वैच्छिक प्रमाणन कार्यक्रमों, उनके महत्व, उनके मध्य क्या-क्या भिन्नताएं हैं और इसके साथ ही उनके लाभों तथा परिसीमाओं को समझ सकेंगे। किसी भी उत्पादक अथवा निर्यातक को अपने उत्पादों का निर्यात कर सकने के लिए उसे आयातक देशों के विनियमनों से अवश्य सम्मत होना चाहिए। अतः पाठकों को इस नियम पुस्तिका द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान तथा एशिया-पेसिफिक क्षेत्र के अन्य चुनिन्दा मुल्कों के मुख्य आयात विनियमनों से संबंधित सूचना मिल सकेगी। तथापि कृषि पद्धति एवं कटाई-पश्चात् गतिविधियों को शामिल करना इस पुस्तिका के दायरे से परे है।

इस नियम पुस्तिका के दो भाग हैं:

- सरकारी मानक अथवा विनियमन एवं आयात आवश्यकताएं (भाग 1)
- मुख्य स्वैच्छिक निजी मानक और प्रमाणन कार्यक्रम (भाग 2)

आयातक देशों में विनियमनों की परिवर्तनशील प्रकृति तथा उत्पादों की विभिन्नता तथा उनके अभिलक्षणों जैसे बहुत कारणों से आयात विनियमनों और प्रमाणन-कार्यक्रमों पर विस्तृत जानकारी देना कठिन है। इसलिए बहुत से इन्टरनेट पते दे दिए गए हैं जहां से जब कभी जरूरी हो अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस नियम पुस्तक के अन्त में आपको एक खाली पृष्ठ मिलेगा जिसमें खोज (सर्च) के द्वारा प्राप्त सूचना का अद्यतन किया जा सकता है या इंटरनेट लिंक की जानकारी लिखी जा सकती है।

हम आशा करते हैं कि इस नियम पुस्तिक से आप की आवश्यकताएं पूरी होंगी।

प्राक्कथन

मई 2006 में खाद्य एवं कृषि संघ के जकार्ता में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन ने सदस्य देशों एवं एफएओ से अनुरोध किया कि वे लघु उत्पादकों को उद्यम विकास एवं विपणन में सहायता प्रदान करें। इस सम्मेलन ने खाद्य एवं कृषि संगठन से यह भी अनुरोध किया कि वह अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य गुणवत्ता एवं स्वच्छता तथा पादप निरोगता-मानकों को बनाए रखने के लिए देशों की मदद बराबर करते रहें ताकि व्यापार तथा पादप, पशु और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके और समुचित विनियमन बनाए रखने, मॉनिटरिंग और निगरानी के काम में मदद हो सके। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा की बात भी सुनिश्चित की जा सके।

खाद्य एवं कृषि संगठन एक ऐसी कार्य-पद्धति को बढ़ावा दे रहा है जिससे एशिया में अनुकूल समर्थकारी-व्यावसायिक वातावरण तैयार हो सके। कृषि-उद्यमों की व्यावसायिक क्षमताओं को सुधारना एवं सदस्य देशों में ग्रामीण-जीविकोपार्जन का विकास एफएओ की तकनीकी सहायता का एक नियमित संघटक है। एशिया-पेसिफिक का क्षेत्रीय कार्यालय खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा दृष्टिकोण पर भी विस्तृत रूप से निगरानी रखने में जुटा है।

कृषि निर्यातकों के लिए मानकों, प्रमाणन् तथा विनियमन पर यह व्यावहारिक नियम-पुस्तक बहु-शिक्षण दल के प्रयासों का प्रतिफल है। इसे औपचारिक रूप से स्वतन्त्र प्रमाणन पर आयोजित क्षेत्रीय तकनीकी परामर्श के मौके पर प्रारम्भ किया गया जिसे खाद्य एवं कृषि संगठन ने अक्टूबर 2007 में नखोनपथॉम, थाईलैण्ड में क्षेत्रीय कृषि-खाद्य पदार्थ मध्यस्थों में जिनके पास विपणन साधन उपलब्ध होते हैं, जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया था ताकि उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धा तथा उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा स्तर में सुधार हो सके।

विकासशील कृषि उद्यमों और खाद्य पदार्थ गुणवत्ता एवं सुरक्षा पर संचित तकनीकी अनुभव तथा जानकारी की चल रही प्रक्रिया को संश्लिष्ट किया जाएगा तथा प्रमुख नीतिपरक मामले क्षेत्र के सदस्य मुल्कों के कृषि मंत्रियों को 2008 में पाकिस्तान में खाद्य एवं कृषि संगठन के एशिया एवं पेसिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन के 29वें सत्र् में प्रस्तुत किए जाएंगे। यह काम वैश्वीकरण तथा मुक्त व्यापार और एशिया पेसिफिक खाद्य पदार्थ सुरक्षा और व्यापार विषयक सूचना-पत्र के सन्दर्भ में कृषि कारोबार तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि-उद्योग "इस्सू पेपर" के माध्यम से किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस क्षेत्र में कृषि-उद्यमों में अपेक्षाकृत और अधिक प्रतिस्पर्धा तथा कृषि-खाद्य पदार्थों की उच्च-गुणवत्ता तथा सुरक्षित पदार्थों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के मामले में इस प्रक्रिया से कार्यवाहियों पर उच्च स्तर की सिफारिशें करने और निर्णय लेने में सुगमता होगी।

हे चंगचुई
सहायक महानिदेशक एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि
खाद्य एवं कृषि संगठन एशिया एवं पेसिफिक क्षेत्रीय कार्यालय

प्रस्तावना

खाद्य एवं कृषि संगठन के व्यापार एवं विपणन प्रभाग (ई.एस.टी) का एक महत्वपूर्ण अधिदेश है। जिन्स-व्यापार को प्रभावित करने वाली समस्याओं का पता लगाना और अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सम्बोधित करके उनका समाधान सुझाना। व्यापार की विभिन्न अड़चनों को समझने तथा उन पर काबू पाने के लिए ई.एस.टी विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ई.एस.टी निजी मानकों तथा प्रमाणन से सम्बंधित मामलों में शामिल हो जाता है क्योंकि कृषि से संबंधित व्यापार और आर्थिक समस्याओं पर विश्लेषणात्मक कार्य करने के दौरान ऐसे मामले बराबर सामने आते रहते हैं।

ई.एस.टी. ने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में निर्णय लेने वालों की मदद करने के लिए मानक और प्रमाणन पर अनेक तकनीकी अध्ययन ग्रन्थ तथा सूचना-प्रधान प्रकाशन तैयार किए हैं। अप्रैल 2004 में इसने स्वैच्छिक मानकों एवं प्रमाणन पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें निजी मानकों से सम्बद्ध अवसरों और अड़चनों पर विचार-विमर्श करने तथा उनका हल खोजने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के 120 से अधिक मध्यस्थ व्यक्तियों को एकत्र किया। तब से, इसने क्षेत्रीय-विस्तार नियम पुस्तकों की एक श्रृंखला का प्रकाशन किया है जिसमें उत्पादक संगठनों, प्रशिक्षकों, विस्तार एजेण्टों तथा निर्यातकों को ध्यान में रखा गया है और इनमें मुख्य निर्यात बाजारों के आयात विनियमों तथा प्रमुख निजी मानकों और स्वैच्छिक प्रमाणन् कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका तथा पूर्वी अफ्रीका जैसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक-एक नियम-पुस्तक बनी हुई है। इस नियम-पुस्तक श्रृंखला द्वारा ई.एस.टी. ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार एशियाई क्षेत्र में भी बढ़ा दिया है। विश्वसनीय कृषि उत्पाद एवं व्यापार से संबंधित ये सभी नियम-पुस्तक एवं निजी मानकों और प्रमाणन पर ई.एस.टी. द्वारा प्रकाशित अन्य रिर्पोट और अध्ययन-पत्र इसके निम्नलिखित इन्टरनेट पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

http://www.fao.org/es/esc/en/15/190/highlight_199.html

अलेक्जेन्डर सारिस
निदेशक
व्यापार एवं विपणन प्रभाग (ई.एस.टी.)

विषय सूची

भाग 1- तकनीकी विनियमन तथा आयात-निर्देश 1

1. वाणिज्यिक गुणवत्ता एवं लेबलिंग विनियमन 3
2. खाद्य सुरक्षा विनियमन 5
3. पादप रोग निवारण विनियमन 9
4. सीमा शुल्क निकासी 11
5. चुनिन्दा एशिया-पेसिफिक देशों में आयात विनियमन 14
6. एशिया में निर्यात और गुणवत्ता को समर्थन दे रहे संगठन 17

भाग 2 - स्वैच्छिक प्रमाणन 19

1. प्रमाणन संबंधित प्रश्न 20
2. पर्यावरणीय प्रमाणन 23
   - 2.1 जैविक (ऑर्गनिक) कृषि 23
   - 2.2 आईएसओ 14001 प्रमाणन 27
3. सामाजिक प्रमाणन् 29
   - 3.1 न्यायसंगत व्यापार 29
   - 3.2 एसए 8000 32
4. खाद्य सुरक्षा तथा स्वस्थ प्रक्रिया प्रमाणन् 34
   - 4.1 स्वस्थ कृषि प्रक्रिया (जीएपी) 35
   - 4.2 स्वस्थ उत्पादन प्रक्रिया प्रमाणन् 48
5. मूलभूत खाद्य-पदार्थ गुणवत्ता प्रमाणन् 54
   - 5.1 भौगोलिक संकेत 54
   - 5.2 हलाल प्रमाणन् 56
6. एशिया में जलजीव संवर्धित उत्पादों का प्रमाणन् 58

भाग 1

तकनीकी विनियमन तथा आयात-निर्देश

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों का निर्यात करने के लिए उत्पादक तथा निर्यातक सार्वजनिक संस्थानों द्वारा निर्धारित तकनीकी विनियमनों (अनिवार्य मानक) का अवश्य अनुपालन करें ताकि उत्पाद की गुणवत्ता, पर्यावरणीय सुरक्षा और उपभोक्ता के स्वास्थ्य को बनाए रखने की बात सुनिश्चित हो सके। आयात तथा निर्यात करने वाले देशों एवं उत्पादों के अनुसार इन विनियमनों में भिन्नता होती है। कुछेक विनियमन अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों पर आधारित होते हैं जबकि अन्य मुल्क-विशेष द्वारा विकसित किए जाते हैं। इन अपेक्षाओं का अनुपालन न करने से आयात-देशों द्वारा संगरोधन जारी किया जा सकता है अथवा उत्पाद को रद्द किया जा सकता है।

उत्पाद गुणवत्ता का प्रतिचयन तथा परीक्षण

अन्तर्राष्ट्रीय मानकों में सामन्जस्य स्थापित करने की दिशा में निम्न अन्तर–सरकारी निकाय कार्यरत हैं।

- खाद्य एवं कृषि संगठन/विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोडेक्स एलिमेन्टेरियस आयोग की स्थापना की गई ताकि खाद्य मानक मार्ग–निर्देशन एवं संबंधित दस्तावेज़ों जैसे कार्यप्रणाली संहिता (कोड ऑफ प्रैक्टिस) तैयार की जा सके।

  www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp

- पादप रोग निवारण आयोग, जो पादप रोग निवारण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करता है और अन्तर्राष्ट्रीय पादप सुरक्षण कन्वेंशन का संचालन करता है।

  www.ippc.int/ipp/en/default.jsp

- पशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो पशु तथा पशु उत्पादकों के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए स्वास्थ्य मानक तैयार करता है।

  www.oie.int/eng/en_index.htm

नियम–पुस्तक के इस भाग में मुख्य तकनीकी विनियमनों और विश्व के तीन महत्वपूर्ण आयात–बाजारों अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जापान की आयात–आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। वैसे एशियाई निर्यातकों के लिए एशियाई बाजार भी अच्छे अवसर प्रदान करता है। इसलिए पाठकों को इस भाग के अन्त में संपर्क–सूत्रों की एक सूची मिलेगी जिससे चुनिन्दा एशियाई देशों के आयात–विनियमनों के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यह नियम पुस्तक 'वेब साइट' से भी जोड़ती है जिससे स्थानीय संगठनों की सूची की जानकारी मिल जाती है जो निर्यातकों को सहायता देती है और उन्हें क्षेत्रीय बाजार की जानकारी भी देती है।

1. वाणिज्यिक गुणवत्ता तथा लेबलिंग विनियमन

उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य के विषय में सदैव जागरूक रहते हैं और वे यह देखते हैं कि जिस उत्पाद का उपभोग कर रहे हैं वह मूलतः किस देश से आया है और उसकी गुणवत्ता क्या है। सर्वाधिक लोकप्रिय विनियमन इस बात पर ध्यान केन्द्रित करते हैं कि उत्पाद विशेष किस ग्रेड का है, किस साइज का है, वजन कितना है और पैकेज और लेबलिंग कैसी है। लेबल पर यह सूचना देना अपेक्षित होता है कि मूलतः उत्पाद किस देश का है, उत्पाद का नाम क्या है, किस्म और इसकी मात्रा। वाणिज्यिक गुणवत्ता के बारे में जो सूचना देनी अपेक्षित होती है वह है उत्पाद की किस्म, रंग, उपयोग करने की अंतिम तारीख, बाह्य क्षति एवं आकार।

निर्यात के लिए उच्च गुणवत्ता मानक पूरा करने हेतु प्रशीतन–श्रृंखला, ग्रेडिंग तथा चयन की व्यवस्था

संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका यह अपेक्षा करता है कि कृषि-आयातों का वर्गीकरण संयुक्त राज्य के कृषि विभाग के अमेरिकन मार्केटिंग सर्विस के मानकों के अनुसार किया जाय। संयुक्त राज्य के कृषि विभाग द्वारा यथा प्रमाणित उत्पाद वर्गीकरण एवं गुणवत्ता अपेक्षाओं के बारे में और अधिक जानकारी नीचे लिखे स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है :

USDA: www.ams.usda.gov/standards/stanfrfv.htm

USDA: www.ams.usda.gov/fv/moab-8e.html

FDA: www.cfsan.fda.gov/~dms/lab-ind.html

फार्म बिल के संघटकों में से एक संघटक है 2002 के 'द फार्म सेक्यूरिटी एण्ड रूरल इन्वेस्टमेन्ट एक्ट' के तहत मूल देश द्वारा लेबलिंग की अनिवार्य शर्त को पूरा करना। इस कार्यक्रम के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करें :

USDA: www.ams.usda.gov/cool/

यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ यह अपेक्षा करता है कि आयातित ताजे फल और सब्जियां गुणवत्ता और लेबलिंग के मामले में यूरोपीय संघ के मार्केटिंग मानकों को पूरा करें। नियंत्रण का काम आयात स्थल पर निरीक्षण निकाय द्वारा किया जाता है अथवा कुछेक अनुमोदित अन्य देशों के मामले में निर्यात स्थल पर किया जाता है। यूरोपीय संघ के मार्केटिंग मानकों के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए यूनाइटेड किंगडम पर्यावरण विभाग, खाद्य एवं ग्राम कार्य मामले (डीईएफआरए) से संपर्क करें।

DEFRA EU Marketing Standards:www.defra.gov.uk/hort/hmi.htm

EU on-line Export Help Desk for developing countries:
www.export help.cec.eu.int/

जापान

जापान यह अपेक्षा करता है कि आयातित उत्पाद खाद्य स्वच्छता कानून के विनियमनों, जापान कृषि मानकों एवं मापन-कानून के अनुरूप हों। मानकों तथा विशिष्ट उत्पादों की आयात प्रक्रिया के बारे में और अधिक सूचना के लिए-

Japan External Trade Organization: www.jetro.go.jp/en/market/regulations/

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries: www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/index.htm

1. खाद्य सुरक्षण विनियमन

उत्पादकों को अपने-अपने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने और सुरक्षण प्रदान करने की बात को सुनिश्चित करना अनिवार्य है और दूषित पानी अथवा रोगाणु अथवा रासायनिक संगदूषकों जैसे संभाव्य खतरों से बचना चाहिए।

कीटनाशकों की अधिकतम अवशिष्ट सीमा

कीटनाशकों (शाकनाशी, कीटनाशी औषधि, कवकनाशकों आदि) की अधिकतम अवशिष्ट सीमा पर विनियमन राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर लागू हैं। उत्पादकों तथा निर्यातको को अपने देश के विनियमनों (जब उनके देश को कीटनाशकों की अधिकतम सीमा के संबंध में विनियमन बने हों) तथा आयात-देशों के विनियमनों का अवश्य अनुपालन करना चाहिए। वे केवल उन्हीं रासायनिकों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी फसल विशेष के लिए ही पंजीकृत किए गए हों और साथ ही वे पुस्तिका अथवा बॉक्स या बोतलों में दिए गए अनुदेशों/निर्देशों का सख्ती से अनुपालन अवश्य करें।

अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक का उपयोग हानिकारक हो सकता है और आयातक देश द्वारा माल रद्द भी किया जा सकता है

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य पदार्थ सुरक्षण विनियमनों के संबंध में विस्तृत सूचना निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है (अर्थात Codex Standard and WTO rules) या राष्ट्रीय स्तर:

www.ipfsaph.org/En/default.jsp
www.fao.org/ag/agn/agns/index_en.asp

कोडेक्स एलिमेन्टेरियस आयोग का होमपेज
www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp

कोडेक्स एलिमेन्टेरियस आयोग की कार्य पद्धति नियम पुस्तक
www.codexalimentarius.net/web/procedural_manual.jsp

संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका में कीटनाशक अवशिष्ट की अधिकतम सीमा का निर्धारण 'पर्यावरणिक सुरक्षण एजेन्सी' द्वारा किया जाता है और सभी कृषि-उत्पादों का आयात के स्थल पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। 'पर्यावरणिक सुरक्षण एजेन्सी' द्वारा आवश्यक और अवशिष्टों की अधिकतम निर्धारित सीमा के बारे में और अधिक सूचना नीचे लिखे स्थलों से प्राप्त करें:

www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/40cfr180_04.html
www.epa.gov/pesticides/food/viewtols.htm
www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/index.html

फसल, कीटनाशक, सक्रिय-संघटक अथवा कीटनाशक की किस्म और देश के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य आयातक देशों के संबंध में अवशिष्टों की अधिकतम सीमा के बारे में उत्पाद का उपयोग करने वालों को नीचे लिखे वेबसाइट से जानकारी मिल सकती है।

www.fas.usda.gov/htp/MRL.asp

यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ उत्पादों में अनुज्ञेय कीटनाशक-अवशिष्टों की अधिकतम सीमा को बराबर कम करता जाता है। बहुत से कीटनाशकों के लिए अब समान-सीमाएं रखी गई हैं जो सारे यूरोपीय संघ पर लागू होती हैं। वैसे कुछेक कीटनाशकों के लिए अलग-अलग देशों में भिन्न अवशिष्ट-सीमाएं रखी गई हैं। प्रत्येक देश प्रवेश स्थल पर इस बात की जांच कर लेता है कि विनियमनों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा रहा है अथवा नहीं (आमतौर पर यह काम कृषि मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है)। जब यूरोपीय देशों द्वारा अधिकतम सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हो तो ऐसी स्थिति में निर्यातक को आयात-छूट प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। यूरोपीय संघ सदस्या देशों में कीटनाशक अवशिष्ट सीमाओं के बारे में और अधिक सूचना नीचे लिखे स्रोतों से प्राप्त करें:

www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm
www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/index_en.htm
www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l21289.htm

सदस्य राज्यों में समुचित सम्पर्क स्थलों के लिए :

www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/evaluation/contact_dec.xls

आयात-छूट की कार्य पद्धति के संबंध में सूचना निम्न स्रोत से मंगायें :

www.pesticides.gov.uk/applicant_guide.asp?id=1239

जापान

जापान में अवशिष्ट की जानकारी देने तथा सीमा परीक्षण करने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य, श्रम एवं कल्याण मंत्रालय तथा पर्यावरणिक विभाग की है। ये सीमाएं खाद्य पदार्थ की स्वच्छता कानून पर आधारित होती हैं। खाद्य पदार्थ सुरक्षण के बारे में सूचना नीचे लिखे वेबसाइट से प्राप्त करें :

www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/index.html

उत्पाद अनुज्ञापन

खाद्य पदार्थ सुरक्षण (मैड-कॉउ-डिज़ीज) तथा वैश्विक आतंकवाद के बारे में हाल की समस्याओं को देखते हुए उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की और पर्यावरणिक प्रदूषण से बचाने के लिए बहुत सी सरकारें खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण के सभी स्तरों पर नियंत्रण कार्य को बढ़ा रही हैं। उत्पाद अनुज्ञापन द्वारा हमें उत्पादन, प्रसंस्करण तथा वितरण के विनिर्दिष्ट स्तरों के माध्यम से खाद्य पदार्थों के संचलन का पता चलता है। यदि उत्पाद प्रदूषित हो तो उस दशा में वे उसे वापस भी करा सकती है। इसके अतिरिक्त वे किसी खाद्य पदार्थ सुरक्षण समस्या के उद्‌गम का निर्धारण, विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन तथा क्रय किए गए उत्पादों के सुरक्षण तथा उनकी गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करतीं हैं।

फसल प्रलेखन तथा पैकेजों पर कोडिंग करना उत्पाद जानकारी की प्रणाली के संघटक हैं

काफी संख्या में सरकारें और खुदरा व्यापारी अब यह चाह रहे हैं कि एचएसीसीपी के सिद्धान्तों के साथ-साथ खाद्य उत्पादन में अच्छी स्वास्थ्य-विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं और अच्छी कृषि प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाए।

www.fao.org/ag/agn/food/food_fruits_en.stm
www.fao.org/ag/agn/food/quality_haccp_en.stm

HACCP manual: www.fao.org/docrep/w8088e/w8088e00.htm

संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने "बॉयोटेरोरिज्म एक्ट" पारित कर दिया है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि सभी निर्यातक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधीन अपना नाम रजिस्टर करा लें और संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पाद के पहुंचने से पहले सूचना दे दें। संयुक्त राज्य अमेरिका 'बॉयो-टेरोरिज्म-एक्ट' के बारे में और अधिक सूचना के लिए सम्पर्क करें :

खाद्य एवं औषधि प्रशासन : www.cfsan.fda.gov/~dms/ffsbtac5.html
www.access.fda.gov/

उद्गम-लेबलिंग कार्यक्रम का देश (कूल) यह अपेक्षा करता है कि 30 सितम्बर, 2008 से अनेक कृषि-उत्पादों के लिए उत्पाद के लेबल पर उद्गम देश का नाम अंकित कर दिया जाना चाहिए। 'कूल' का जानकारी अपेक्षाओं के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका को माल सप्लाई करने वाले देशों पर प्रभाव बना रहेगा। इस विषय की सामान्य सूचना निम्नलिखित स्रोत से प्राप्त की जा सकती है :
USDA: www.ams.usda.gov/cool/

यूरोपीय संघ

अनुज्ञापन पर यूरोपीय संघ विनियमन जनवरी 2005 में लागू हुए। इन नियमावलियों का अनुपालन करने के लिए यह आवश्यक है कि यूरोपीय संघ के आयातक उत्पादों के उद्गम स्थल की पहचान करें। इसके परिणाम स्वरूप, संघ के आयातक उत्पाद-निर्यातकों से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वे उत्पाद-अनुज्ञापन-क्षमता की शर्तों का अनुपालन करें भले ही ट्रेडिंग-पार्टनर-मुल्कों के निर्यातकों को यूरोपीय संघ के अंतर्गत लागू अनुज्ञापन-क्षमता अपेक्षा को पूरा करना विधिक तौर पर जरूरी न हो।

इस विषय में सूचना निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है :
www.europa.eu.int/comm/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_7_en.pdf
www.europa.eu.int/comm/food/food/foodlaw/traceability/index_en.htm
www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/132041.htm

खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य विज्ञान अपेक्षाओं पर व्याख्यात्मक सूचना के लिए कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें :
www.europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_en.pdf

जापान

इस नियम-पुस्तक को तैयार करते समय जापान में निर्यातकों के लिए कोई अनुज्ञापन अपेक्षाएं विद्यमान नहीं थीं।

3. पादप रोग निवारण विनियमन

पादप रोगों तथा कीटनाशकों का नये क्षेत्रों में प्रवेश तथा फैलाव को रोकने के लिए पादप उत्पादक पादप रोग-निवारण विनियमनों का अवश्य पालन करें। किसी भी आयातित उत्पाद का खतरा-स्तर क्या हो सकता है इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए विश्व भर के प्रमुख आयातक देश नाशिकीट खतरे का विश्लेषण करते हैं तथा खतरे का स्तर अधिक तो नहीं है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे उत्पाद के आगमन पर उसका निरीक्षण करते हैं।

स्थानीय अधिकारी आयातित माल का निरीक्षण कर रहे हैं

पादपों, फलों, बीजों तथा सब्जियों और कट-फ्लावरों जैसे विनियमित उत्पादों के लिए पादप-रोग निवारण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना आवश्यक है। पादप रोग निवारण प्रमाण पत्र के बारे में विस्तृत सूचना नीचे लिखे स्रोत से प्राप्त करें :
www.ippc.int/IPP/EN/default.jsp
(पादप रोग निवारण विनियमन अनुभाग के अधीन)

संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका में पशु एवं पादप स्वास्थ्य निरीक्षण सेवा (संयुक्त राज्य कृषि विभाग की एक एजेन्सी) के निरीक्षकों को सीमा शुल्क निकासी के लिए तैयार कर सकने से पूर्व सम्पूर्ण माल की अवश्य जांच कर, अनुमोदित कर देना चाहिए। यदि माल में कीटनाशक अथवा रोग लक्षण पाए जाएं तो उसे धूनी देकर साफ किया जाए (अथवा अन्य तरीके से साफ किया जाए) या उद्गम के देश को लौटा दिया जाए अथवा उसे नष्ट कर दिया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की पादप संगरोधन प्रणाली के बारे में और अधिक सूचना के लिए नीचे लिखे पते पर सम्पर्क करें :

USDA: www.aphis.usda.gov/ppq/permits

यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ को माल निर्यात करने के लिए उत्पादकों तथा निर्यातकों को यूरोपीय संघ के पादप स्वास्थ्य विनियमनों का अवश्य अनुपालन करना चाहिए। विनियमन प्रवेश के स्थल पर ही लागू हो जाते हैं। यूरोपीय संघ में पादप स्वास्थ्य विनियमनों के बारे में और अधिक सूचना के लिए इण्टरनेशनल फायटोसेनिटरी पोर्टल से सम्पर्क करें :

www.ippc.int/IPP/En/nppo.jsp

यूरोपीय अथवा कमीशन के फायटोसेनीटरी अपेक्षाओं पर समेकित सूचना के लिए (Council Directive 2000/29/EC plus amendments) से संपर्क करें।

www.europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/2000/en_2000L0029_do_001.pdf

जापान

जापान सरकार आपूर्ति देशों से अपेक्षा करती है कि वे पादप सुरक्षण कानून, पादप स्वास्थ्य कानून तथा खाद्य पदार्थ स्वच्छता कानून का अनुपालन करें। ये विनियमन कृषि, वानिकी तथा मत्स्यिकी मंत्रालय के पादप सुरक्षण प्रभाग द्वारा लागू किए जाते हैं। जापानी पादप रोग निवारण विनियमन अथवा जापानी संगरोधन प्रणाली पर और अधिक सूचना नीचे लिखे स्रोत से प्राप्त करें :

Plant Protection Station: www.pps.go.jp/english/

Japan External Trade Organization: www.jetro.go.jp/en/market/regulations/pdf/plant2003apr-e.pdf

Animal quarantine: www.maff-aqs.go.jp/english/ryoko/index.htm

4. सीमा शुल्क निकासी

आयातक के देश में उत्पाद-प्रविष्टि के लिए सीमा शुल्क अधिकारी ही अन्तिम रूप से प्राधिकृत हैं। सीमा शुल्क की निकासी के लिए, निर्यातक को आवश्यक फार्म (कॉमर्शियल शिपिंग) अवश्य भरने चाहिए और सभी प्रकार के फीस, शुल्क, करों की अदायगी करनी चाहिए। चूंकि इन फार्मों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए अब कुछ देश समय की बचत करने के लिए प्रीक्लीयरेन्स-प्रोग्राम की पेशकश करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्पादों की सीमा शुल्क निकासी अधिकारियों द्वारा उद्गम के देश में की जा सकती है जो इस बात की गारण्टी दे सकते हैं कि उत्पाद-विनियमनों का पालन किया गया है।

आयात देशों के इन विनियमनों में से किसी एक का भी अनुपालन नहीं करने की दशा में उत्पाद को रद्द किया जा सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमरीका में प्रवेश के स्थल पर ए.पी.एच.आई. तथा एफ.डी.ए. द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात ही सीमा शुल्क अधिकारी उत्पादों को प्रवेश के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। निर्यातक मात्रा, मूल्य विवरण तथा उद्गम के देश द्वारा यथा निर्धारित आवश्यक शुल्क यहां पर अवश्य दें। सीमा पर कार्यवाही शीघ्र करने के लिए, निर्यातक उत्पाद की रवानगी से पूर्व ही कुछेक सीमा शुल्क संबंधी क्रियाविधियों को पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ए.पी.एच.आई.एस. इण्टरनेशनल सर्विसेज के माध्यम से फायटोसेनिटरी सर्टिफिकेट जैसे आयात-दस्तावेजों पर कुछ देशों के लिए अब प्रीक्लीयरेंस प्राप्त करना संभव है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उपलब्ध प्रीक्लीयरेंस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पते पर सम्पर्क करें :

www.aphis.usda.gov/ppq/preclearance/

दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करने के लिए निर्यातक अमेरिकन कस्टम्स द्वारा विकसित ऑटोमेटेड कॉमेर्शियल सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक सूचना के लिए निम्न पते पर सम्पर्क करें :

www.cbp.gov/xp/cgov/import/operations_support/automated_systems/ams/

यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ में सीमा शुल्क निकासी की क्रियाविधियाँ देशों के अनुसार अलग-अलग हैं। इनमें से बहुत से देशों के पास इलेक्ट्रॉनिक कस्टम्स सिस्टम और अन्य कार्यक्रम हैं जो क्लीयरेंस के काम को तेजी के साथ करने में सहायक होते हैं। सीमा शुल्क क्रियाविधि और शुल्कों/दरों के बारे में विशिष्ट सूचना के लिए नीचे लिखे स्रोत से सम्पर्क करें :

Taxation and Customs Union: www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/common/about/welcome/index_en.htm

विकासशील देशों से आयात को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र (सीबीआई.): www.cbi.nl

जापान

उत्पादनों के आगमन से पूर्व, निर्यातक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से प्रवेश स्थल पर स्थित संगरोधन–स्टेशन को अवश्य अधिसूचित करें। सीमा शुल्क स्थल पर समय कम लगे इसके लिए उत्पाद का एक नमूना जापान के अथवा निर्यातक देश की सरकारी प्रयोगशाला में लाया जा सकता है और इसके परिणाम प्रीक्लीयरेन्स के लिए भेजे जा सकते हैं। उपभोक्ता कर तथा शुल्क अन्तिम क्लीयरेन्स देने से पहले दिए जाते हैं। आयात क्रियाविधि के बारे में और अधिक सूचना के लिए निम्न पते पर सम्पर्क करें :

www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/index.html

जापानी कस्टम्स : www.customs.go.jp/english/index.htm

रद्द कर दिए गए माल के बारे में क्या कार्यवाही करनी चाहिए ?

उपर्युक्त विनियमनों में से एक या इससे अधिक विनियमनों का अनुपालन न करने पर उत्पादों को आयातक–देश के प्रवेश–पत्तन पर रद्द किया जा सकता है। यदि यह पता लग जाए कि समस्या बहुत गम्भीर है तो निर्यातक के खर्च पर माल और इसके पैकेजिंग की सम्पूर्ण सामग्री नष्ट कर दी जाएगी। यदि समस्या इतनी गम्भीर न हो तो निर्यातक को यह छूट होगी कि वह माल को किसी ऐसे दूसरे मार्केट को भेज सकता है जहां नियमावली अपेक्षाकृत कम तकाजा वाली हो। यह भी निर्यातक के ही खर्च पर होगा।

अधिकतर औद्योगीकृत देश अब इसी प्रकार की आयात–विनियमावली को शेयर करते हैं इसलिए दूसरे मार्केटों को माल को फिर से भेजना दिन–पर–दिन कठिन होता जा रहा है, विशेषकर शीघ्र खराब हो जाने वाले ताजे उत्पाद। इसके अलावा यूरोपीय संघ की एक खाद्य पदार्थ सुरक्षण–सचेतक प्रणाली है जो स्वतः ही सभी सदस्य देशों को रद्द कर दिए गए माल की सूचना भेज देती है। इससे किसी दूसरे पोर्ट (पत्तन) के माध्यम से वही माल यूरोपीय संघ में पुनः प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। इसी प्रकार, संयुक्त राज्य अमेरिका के 'पैट्रियॉट एक्ट' के तहत किसी माल को फिर से प्रवेश होने से रोक दिया जाता है– यदि इसे पहले किसी प्रवेश–पोर्ट पर रोका जा चुका हो।

सीमा शुल्क निकासी की अनुमति मिल जाने के बाद भी आयातक द्वारा माल को फिर भी रद्द किया जा सकता है यदि वह उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो, ऐसी दशा में इस माल को निर्यातक के खर्च पर नष्ट कर दिया जाएगा।

इस प्रकार, माल का रद्द कर दिया जाना निर्यातकों को अत्यधिक मंहगा बैठता है। यही कारण है कि यह सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य है कि निर्यातित माल आयातक देशों के सभी नियमों एवं नियमावली के अनुसार हो। माल को निर्यातक देश से भेजने से पहले यह देख लिया जाए कि वह आयातक देश की अपेक्षाओं के अनुसार है अथवा नही। किसी रद्द क्रिया–विधि के संबंध में प्रलेख तैयार कर लेना भी जरूरी है ताकि रिकार्ड को भावी सन्दर्भ के लिए रखा जा सके। रद्दगी–निर्णय का प्रतिरोध करने की क्रिया–विधि है किन्तु जल्दी खराब हो जाने वाले खाद्य पदार्थ–उत्पादों के संबंध में यह प्रक्रिया अनुकूल नहीं बैठती है।

यदि आपको यह संदेह हो कि आपका कोइ माल समस्या वाला हो और उसे रद्द किया जा सकता हो तो इस हालत में यही श्रेयस्कर होगा कि उस माल को वापस मंगा लिया जाए या अपने ग्राहकों को तुरन्त सूचित कर दिया जाए। खाद्य पदार्थ की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में यह पूर्व–सक्रियता तथा उचित कर्तव्य परायणता प्रदर्शित करता है। स्मरण रहे कि किसी भी उत्पाद के रद्द कर दिए जाने से आपके कारोबार की प्रतिष्ठा को ही हानि नहीं पहुँचती है वरन् सम्पूर्ण उद्योग भी बदनाम हो जाता है जिसके अन्तर्गत आप अपना कारोबार संचालित कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके देश में उत्पादित सभी उत्पादनों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है।

5. चुनिन्दा एशिया-पेसिफिक देशों में आयात विनियमन

विदेशी बाजारों में निर्यात नियमावली तथा आयात नियमों पर सूचना का प्राथमिक स्रोत आपकी सरकार है, कृपया अपने देश के कृषि मंत्रालय अथवा विदेश व्यापार मंत्रालय से सम्पर्क करें। आयातक देश क दूतावास का आर्थिक अथवा व्यापार विभाग भी आयात नियमावली पर सूचना दे सकता है।

इसके अतिरिक्त, आप आयात देशों में सूचना के संभाव्य स्रोत की एक सूची नीचे देखेंगे। कृपया नोट कर लें कि यह सूची विस्तृत नहीं है और यह संगठनों अथवा वेबसाइटों, जिन्हें सम्मिलित किया गया हो अथवा सम्मिलित नहीं किया गया हो पर खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कोई निर्णय जो भी हो नहीं दर्शाती।

आस्ट्रेलिया
सेनिटरी एण्ड फायटोसेनिटरी रेगुलेशन्स
www.daffa.gov.au/aqis/import

भूटान
भूटान कृषि एवं खाद्य विनियमन प्राधिकरण (बीएएफआरए), कृषि मंत्रालय, थिम्पू, भूटान
Tel.: +975 2 327 031
Fax: +975 2 327 032

चीन लोकतांत्रिक गणराज्य (पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना)
चीन लोकतांत्रिक गणराज्य के गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा संगरोधन का सामान्य प्रशासन (एक्यूएसआईक्यू) :
www.aqsiq.gov.cn/
e-mail: webmaster@aqsiq.gov.cn
Tel.: +86 10 8226 0001 or +86 10 8226 1600

वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओएम) : www.mofcom.gov.cn/
दूरभाष : +86 10 6512 1919

कृषि मंत्रालय (एमओए): www.agri.gov.cn/
दूरभाष : +86 10 6419 3366

हांगकांग एस.ए.आर.
खाद एवं पर्यावरणिक स्वास्थ्य विज्ञान विभाग :

www.fehd.gov.hk/

मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक (आयात/निर्यात)
दूरभाष : +852 2867 5570
फैक्स : +852 2521 4784

आयातों पर सूचना के लिए कृषि, मत्स्यिकी और संरक्षण विभाग की वेबसाइट :
www.afcd.gov.hk/

भारत
कृषि उत्पाद आयात नियमावली :
www.exim.indiamart.com/

मलेशिया
आयात नियमावली/विनियमावली पर सूचना :
www.agrolink.moa.my

न्यूजीलैण्ड
न्यूजीलैण्ड खाद्य सुरक्षण प्राधिकरण :
www.nzfsa.govt.nz/labelling-composition/

पाकिस्तान
कृषि एवं जलजीव संवर्धन उत्पाद नियमावली पर सूचना :
www.cbr.gov.pk

फिलिपीन्स

खाद्य एवं औषधि ब्यूरो (स्वास्थ्य विभाग) :

www.bfad.gov.ph

दूरभाष : +63 (2) 807 072; 842 56 06; 842 4538

फैक्स : +63 (2) 842 4603

सम्पर्क करें : कार्यकारी निदेशक (director@bfad.gov.ph)

कृषि विभाग :

www.da.gov.ph

दूरभाष : +63 (2) 928 8741 to 65

फैक्स : +63 (2) 929 8183; 928 5140

सम्पर्क :

कृषि सचिव, मुख्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग

सिंगापुर

आयात विनियमन :

www.customs.gov.sg/leftNav/info/imp/Import+Requirements.htm

थाइलैण्ड

कृषि उत्पादों के लिए आयात नियमावली :

www.doa.go.th/en/

www.nfi.or.th/nfi/home.php?form[module]=links&form[index]=index&form[lang]=eng

जलजीव संवर्धित उत्पादों के लिए आयात नियमावली :

www.fisheries.go.th/english/index.php

वियतनाम

वियतनाम सीमा शुल्क विभाग :

www.itpc.hochiminhcity.gov.vn/english/trade_guide/vn_tariff/vn_index.html

कृषि मंत्रालय :

www.agroviet.gov.vn/en/default.asp

मत्स्यिकी मंत्रालय :

www.mofi.gov.vn

6. एशिया में निर्यात और गुणवत्ता को समर्थन दे रहे संगठन

उत्पादकों तथा निर्यातकों को विभिन्न प्रकार के तकनीकी विनियमनों और आयात अपेक्षाओं से जो पहले तो जटिल किस्म के लगते हैं सुपरिचित होने की जरूरत है। वैसे, एशिया के प्रत्येक देश में स्थित अनेक अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन हैं जो इन नियमावलियों के अनुपालन में उत्पादकों की मदद करने का काम करते हैं। उनसे सम्पर्क करने में न हिचकें। वे अतिरिक्त सूचना अथवा संगत प्रशिक्षण दे सकते हैं।

चाय कृषक कृषि संस्थान के समर्थक गैर सरकारी संस्थान से यूरोपीय आयात प्रतिबन्धों तथा कार्य पद्धति के विषय में जानकारी हासिल करते हैं

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर

विकासशील देशों के लिए यूरोपीय ऑन-लाइन एक्सपोर्ट-हेल्प डेस्क
www.export-help.cec.eu.int/

व्यापार को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त :
www.europa.eu.int/comm/food/fvo/pdf/guide_thirdcountries_en.pdf

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र : www.intracen.org/menus/itc.htm

मार्केट अक्सेस डेटाबेस : www.mkaccdb.eu.int

एपीईसी : एशिया-पेसिफिक इकोनोमिक कोऑपरेशन ज़ोन
सभी एपीईसी सदस्य देशों के आयात विनियमनों की जानकारी के लिए एक सम्पूर्ण वेबसाइट
www.apec.org/apec/apec_groups/committees/committee-on_trade_market_access_group/import_regulations/australia.html

राष्ट्रीय स्तर पर

निर्यात के लिए उत्पादन कर रहे कृषि-उत्पाद-निर्यातकों तथा कृषकों को मदद करने के लिए आपकी सरकार के कार्यक्रम हो सकते हैं। कृपया अपने कृषि मंत्रालय एवं व्यापार मंत्रालय से सम्पर्क करें।

इसके अतिरिक्त, निर्यात के लिए सूचना दे सकने और मदद करने वाले एशियन ऑर्गनाइजेशन की सेलेक्शन सूचियां नीचे दिए गए वेब पेज पर देखें :
http://www.fao.org/es/esc/en/15/262/highlight_270.html

भाग 2

स्वैच्छिक प्रमाणन्

इस नियम-पुस्तक के पिछले भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान तथा एशिया-पेसिफिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण तकनीकी विनियमनों और आयात आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है। इनका अनुपालन करना उन निर्यातकों अथवा उत्पादकों के लिए जरूरी है जो इन बाजारों में अपना उत्पाद बेचना चाहते हैं।

नियम-पुस्तक का यह भाग स्वैच्छिक प्राइवेट मानकों और प्रमाणन से सम्बन्ध रखता है। स्वैच्छिक मानक अनिवार्य नहीं हैं। कृषक, निर्यातक और अन्य फर्में इस बात का फैसला कर सकते हैं कि वे इनका अनुपालन करें या नहीं करें और उनकी कार्यवाही के आर्थिक परिणामों को स्वीकार करें अथवा नहीं करें।

यह भाग एशिया में उपलब्ध कुछ एक प्रमुख स्वैच्छिक प्राइवेट कृषि-प्रमाणन कार्यक्रमों के बारे में सामान्य सूचना देता है जिसमें सम्पर्क स्रोत भी शामिल हैं जहां से और अधिक सूचना प्राप्त की जा सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एक्सपो – जहां खरीददार प्रमाणित उत्पादों में रूचि ले रहे हैं

1. प्रमाणन के बारे में प्रश्न

स्वैच्छिक प्रमाणन क्या है?

किसी मानक की शर्त पूरी की जा रही है अथवा नहीं इसकी जाँच-पड़ताल करने के तीन तरीके हैं। पहले मामले में कम्पनी मानक स्वीकार करने के संबंध में फैसला करे और इसके सारे विभाग इसका अनुपालन करते हैं या नहीं इस बात की जांच करने के लिए अपने कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करे। इसे प्रथम पार्टी सत्यापन कहते हैं। दूसरे मामले में फर्म यह मांग कर सकते हैं कि इसके सप्लायर्स मानक पूरा करें और वे स्वयं इस पर नियंत्रण रखें कि वे ऐसा करें। यह दूसरी पार्टी सत्यापन है। अन्ततः फर्म यह अपेक्षा कर सकती है कि इसके सप्लायर मानक पूरा करें और किसी स्वतंत्र संगठन से जो सप्लायरों के कारोबार के संबंध में लिप्त नहीं हों, यह अनुरोध कर सकती है कि वह सप्लायरों के अनुपालन का नियंत्रण करे। यह थर्ड पार्टी सत्यापान है। जिसे प्रमाणन भी कहते हैं। इसलिए परिभाषा के हिसाब से प्रमाणन का काम सदैव एक स्वतन्त्र थर्ड पार्टी द्वारा किया जाए, अभीष्टतः वह संगठन जिसने मानक निर्धारित किए हैं, वह खुद प्रमाणन्-कार्यवाही नहीं करे, बल्कि यह सक्षम स्वतंत्र प्रमाणन् निकाय को इस काम को सौंपे, किन्तु इससे पूर्व इस निकाय की सक्षमताओं की जांच कर ले।

प्रमाण पत्र किसी स्वतंत्र प्रमाणन्-एजेन्सी द्वारा प्रदत्त एक लिखित गारण्टी होता है जो यह दर्शाता है कि उत्पादन-प्रक्रिया अथवा उत्पाद विषयक कतिपय मानकों का

कृषक एवं सहायक कर्मचारी प्रमाणन् प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं

अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं। इन मानकों के अन्तर्गत मुख्यतः ध्यान पर्यावरणिक मामलों (जैसे मृदा संरक्षण, जल सुरक्षण, नाशिकीटमार का उपयोग या कूड़ा-करकट प्रबंधन मामले।) सामाजिक मामले (जैसे उत्पादक की आय, कार्यकर्ताओं के अधिकार व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मामले) अथवा खाद्य पदार्थ सुरक्षण जैसे उत्पादन के अन्य पहलुओं पर केन्द्रित किया जा सकता है।

ये कार्यक्रम क्यों विद्यमान हैं?

उत्पादकों की मार्केट तक पहुँच, स्थानीय संसाधनों को सुरक्षण, कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य सुधार तथा ग्राम समुदाय के लोगों को रहन-सहन के अच्छे अवसर प्रमाणन की कार्य पद्धति से प्राप्त हो जाते हैं। इससे उपभोक्ता स्वास्थ्य भी सुनिश्चित होता है। उपभोक्ता सामाजिक और पर्यावरणिक समस्याओं के प्रति निरन्तर सजग होता जा रहा है। वह उत्पादन से सम्बद्ध और उपभोग कर रहे खाद्य पदार्थों से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूक है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्राइवेट संगठनों अथवा सरकारों ने विभिन्न प्रकार के प्रमाणन् कार्यक्रम विकसित किए हैं।

प्रमाणन् क्यों?

प्रमाणन् का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया जाता है कि उत्पाद किसी एक खास तरीके से उत्पादित किया गया है अथवा इसमें कुछ खास गुण हैं और इसके बनाने में मानक विशेषों का अनुपालन किया गया है। इसका खासकर तब इस्तेमाल किया जाता है जब उत्पादक और उपभोक्ता सीधे सम्पर्क में नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जहां उपभोक्ता आसानी से यह पड़ताल नहीं कर सकता कि उत्पादक द्वारा यथा वर्णित ढंग से उत्पाद तैयार किया गया है। प्रमाणन् यह बतलाने में मदद कर सकता है कि कोई उत्पाद दूसरे उत्पादों से कैसे

और किस रूप में भिन्न है। इससे उत्पाद को बाजार में लाने के काम में भी प्रोत्साहन मिल सकता है। प्रमाणन् से बाजार तक पहुंच बनाने के काम में आगे और सुधार करने में सहायता मिल सकती है और साथ ही कुछेक मामलों में उच्चतर-उत्पादक-मूल्य दिला सकता है।

जापान, संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ जैसे बड़े आयात-बाजारों में कतिपय प्राइवेट मानकों के अनुसार प्रमाणित उत्पादों के लिए व्यापार में बढ़ोतरी होती जा रही है। उदाहरण के लिए जैविक (आर्गनिक) अथवा न्यायसंगत-व्यापार (फ़ेयर-ट्रेड) के रूप में प्रमाणित उत्पाद समतुल्य अप्रमाणित उत्पादों की तुलना में उच्चतर मूल्य दिलाते हैं। ये देश एशियाई देशों से काफी मात्रा में जैविक उत्पाद आयात करते हैं। उदाहरण के लिए चीन लोकतांत्रिक गणराज्य और भारत से ऑर्गनिक चाय, तिमोर लिस्ते से आर्गनिक कॉफी, फिलिपीन्स से ऑर्गनिक और फेअर-ट्रेड केला। चीन लोक गणराज्य तथा थाइलैण्ड से आर्गनिक सब्जियां। वैसे एशियाई निर्यातकों को क्षेत्रीय बाजार को नज़रअन्दाज नहीं करना चाहिए। वास्तव में, बड़े शहरों के विकास के साथ ही शहरी मध्य वर्ग का उद्भव और एशियाई देशों में सुपर मार्केटों की संख्या में बढ़ोतरी तथा गुणवत्ता उत्पादों के लिए राष्ट्रीय बाजार तेजी के लिए साथ बढ़ रहे हैं। इस प्रकार यह नियम-पुस्तक राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन योजनाओं पर भी सूचना देती है और पाठक को इस बात को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वह स्थानीय और क्षेत्रीय निर्यात बाजार में कारोबार फैलाने के बारे में पता करे जिनकी गुणवत्ता-अपेक्षाएं यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की तुलना में अपेक्षाकृत कम कठोर हो सकती हैं।

लागत

इसमें दो प्रकार की लागत सम्मिलित हैं। (1) मानक और उसे प्रमाणित कराने की लागत जो इस बात पर निर्भर करती है कि उत्पादक को अपने फार्म में किस तरह के परिवर्तन करने पड़ेंगे और किस तरह का प्रमाणन् कार्यक्रम चयन किया जाता है। (2) लागत प्रमाणन जो इस बात पर निर्भर करता है कि निरीक्षक फार्म में निरीक्षण (फार्म लेखा-परीक्षा) में कितना समय लगाते हैं और यात्रा खर्च कितना बैठता है।

उत्पादक इनमें से किसी भी प्रकार के प्रमाणन का चयन कर सकता है। प्रमाणन प्राप्त करने के निर्णय और इसके साथ-साथ किस प्रकार प्रमाणन् का चयन किया जाए - इस तरह के निर्णय लेना महत्वपूर्ण मायने रखते हैं क्योंकि इनका प्रभाव फार्म प्रबन्धन, निवेशों और मार्केटिंग करने की आवश्यक बातों पर पड़ता है। वैसे प्रत्येक प्रमाणन् कार्यक्रम का अलग-अलग उद्देश्य होता है और अपेक्षाएं भिन्न-भिन्न होती हैं।

2. पर्यावरणिक प्रमाणन्

जैविक कृषि

जैविक कृषि एक उत्पादन कार्य पद्धति है जो फार्म और इसके पर्यावरण का एकल-प्रणाली के रूप में प्रबन्ध करती है। जिस एग्रो-ईकोसिस्टम में फार्म संचालित होता है उसमें सुधार-कार्य को बढ़ाने के लिए यह पारम्परिक और वैज्ञानिक दोनों प्रकार की जानकारी का उपयोग करती है। जैविक फार्म खनिज उर्वरकों तथा कृषि-रसायनों जैसे बाह्य कृषि निवेशों के बजाय स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग तथा ईकोसिस्टम के प्रबन्धन पर निर्भर करते हैं। इसलिए जैविक-कृषि सिन्थेटिक रसायनों और जेनेटिकली मॉडिफाइड इन्पुट्स को रद्द कर देती है। यह स्थायी पारम्परिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है जो परती भूमि में मृदा-उर्वरता को बनाए रखती है।

जैविक कृषि समुदाय में पारिस्थितिकीय संतुलन

मुख्य अपेक्षताएं

अधिकतर जैविक रूप से प्रमाणित-फसलों और साथ ही पशुधन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, वानिकी एवं वन्य उत्पादों की हार्वेस्टिंग के लिए विशिष्ट अपेक्षाएं हैं। जैविक मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि एक परिवर्तन अवधि होती है। (या प्रमाणित कर दिए जाने से पूर्व जो आमतौर पर 2-3 वर्ष का हो सकता है- वह समय जो किसी फार्म को जैविक उत्पादन पद्धति के लिए इस्तेमाल करना होता है)।

कुछ जैविक कृषि की कसौटियाँ

फसल उत्पादन अपेक्षाएं निम्नलिखित बातों पर लागू होती हैं।

- बीज और पादप सामग्री का चयन।
- मृदा–उर्वरता का रख–रखाव तथा जैविक सामग्री का पुनर्चक्रन।
- आनुवंशिक रूप से परिवर्तित निवेशों का निषेध।
- कृषि भूमि पर विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाना।
- उत्पादों का प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा अनुज्ञापन।
- कीटनाशी, रोगों तथा निराई के लिए जैविक उर्वरक तथा यौगिकों का उपयोग।

पशु–पालन के संबंध में नीचे लिखी बातें लागू होती हैं–

- पशु स्वास्थ्य देख–रेख तथा कल्याण कार्य।
- पोषण तथा प्रजनन।
- पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने तथा उनके वध करने की क्रिया–विधि।

कैसे प्रमाणित कराएं?

जैविक कृषि के लिए मानक मुख्यतः प्राइवेट प्रमाणन निकायों द्वारा तैयार किए गए हैं किन्तु अनेक एशियन देशों के राष्ट्रीय जैविक मानक और विनियमन हैं (उदाहरण के लिए जापान, चीन लोक गणराज्य, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, थाइलैण्ड) इसके अतिरिक्त निजी तौर पर प्रयास किए जाते हैं जो जैविक कृषि को बढ़ावा देते हैं जैसे ग्रीननेट, अर्थनेट फाउन्डेशन, थाइलैण्ड। यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सबके पास उत्पादों के लेबलिंग के संबंध में राष्ट्रीय विनियमन हैं। यदि उत्पादक अपने उत्पादों को इन देशों को निर्यात करना चाहते हैं तो उन्हें इन विनियमनों की शर्तों का अवश्य पालन करना पड़ेगा।

प्रमाणन एजेन्सी का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पादक द्वारा चयनित प्रमाणन् एजेन्सी उस देश में सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जिसमें उत्पाद की बिक्री की जानी हो। अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों की अपेक्षाकृत राष्ट्रीय प्रमाणन् एजेन्सियां प्रायः कम खर्चीली होती हैं किन्तु हो सकता है कि वे कुछ विदेशी बाजारों में सुपरिचित न हों।

2–3 वर्षों की परिवर्तन अवधि उत्पादक के लिए प्रायः मंहगी बैठती है क्योंकि उत्पाद को परम्परागत मूल्य पर अवश्य बेंचा जाना चाहिए, भले ही जैविक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता हो। जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत उच्चतर बैठ

सकती है और अपेक्षाकृत उत्पादन कम होता है। कम से कम प्रारम्भिक स्तर पर ऐसा होता है। कुछ देशों में, ऐसे फार्मों जो जैविक उत्पादन की परिवर्तनावस्था में हों, किन्तु प्रमाणन प्राप्त नहीं किया हो, से भी उत्पादों के लिए बाजार मांग है। ये उत्पाद कभी–कभी "आर्गनिक इन ट्रांजिशन" लेबल के साथ पाए जाते हैं। लागत कम करने एवं उत्पादन में सुधार करने के लिए परस्पर सहायता करने की एक प्रणाली होने तथा मानकों का अनुपालन करने के प्रयोजन से उत्पादक का एक साथ मिलकर अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादक परस्पर विश्वास करें और एक साथ काम करें– क्योंकि वे मुख्यतः एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। उत्पादक–ग्रुप की स्थापना और परिचालन के लिए मार्गदर्शी–सिद्धान्त की प्रति इण्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गनिक एग्रीकल्चर मूवमेण्ट्स से प्राप्त कर सकते हैं (सम्पर्क स्थलों की सूचना नीचे दी गई है)।

जैविक कृषि एशिया के अनेक उत्पादकों को, खासकर उन्हें जो इस समय ढेर सारे कृषि रसायन उत्पाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, रूचिकर अवसर प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, चीन लोकतांत्रिक गणराज्य विश्वभर में ऑर्गनिक चाय का निर्यात करता है तथा जापान को ऑर्गनिक सब्जियों का निर्यात करता है। भारत आर्गनिक चाय का निर्यात करता है। फिलिपीन्स ऑर्गनिक केला तथा आम निर्यात करता है और तिमोर लेस्ते ऑर्गनिक कॉफी निर्यात करता है।

सुअवसर तथा कठिनाइयां

एक बार फार्म के प्रमाणित हो जाने पर जैविक उत्पाद का विक्रय जीवन स्तर में सुधार कर सकता है तथा उत्पादक की आय बढ़ा सकता है। उत्पादक अनेक

प्रमाणन निरीक्षक प्रश्न पूछता है और फार्म का निरीक्षण करता है

कारणों से जैविक कृषि की पद्धति को अपनाने लगते हैं। कुछ यह महसूस करते हैं कि कृषि रसायन का उपयोग उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है जबकि अन्य उत्पादक खासकर उच्चतर कीमतों और हाल के वर्षों में बहुत से जैविक उत्पादों के तेजी से बढ़ते हुए मार्केट से आकृष्ट होते हैं।

जैविक पद्धति में खेती का परिवर्तन सरल हो सकता है या उत्पादकों के लिए अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी हो सकता है जो इस बात पर भी निर्भर करता है:

- क्या जैविक उर्वरक या अन्य अनुज्ञात निवेश (परमिटेड इनपुट्स) का उपयोग करता है अथवा कृषि रसायन उत्पाद काफी मात्रा में इस्तेमाल करता है?
- क्या जमीन का स्वामित्व उसके पास है?
- क्या श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि जैविक उत्पादन के लिए प्रायः अधिक श्रमिकों की सेवा की अपेक्षा होती है।

जैविक खेती पर और अधिक सूचना

अन्तर्राष्ट्रीय

इण्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गनिक अग्रीकल्चर मूवमेन्ट्स (आईएफओएएम):
www.ifoam.org
ई-मेल : headoffice@ifoam.org दूरभाष: +49 228 926 5010

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ):
www.fao.org/organicag

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी):
www.unctad.org

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (आईटीसी)
www.intracen.org

विपणन (मार्केटिंग)

ऑर्गेनिक ट्रेड सर्विसेज-यूनाइटेड किंगडम
www.organicts.com
ई-मेल : info@organicTS.com दूरभाष: +44 797 410 3109

यूएसडीए एफएएस- संयुक्त राज्य अमरीका
www.fas.usda.gov/agx/organics/index.htm

अनुसंधान केन्द्र

एफआईबीएल- स्विटजरलैण्ड
www.fibl.org/english/index.php
ई-मेल : info.suisse@fibl.org दूरभाष: +41 628 657 272

ऑर्गनिक रिसर्च- यूनाइटेड किंगडम
www.organic-research.com

नेशलन सस्टेनेबल अग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन सर्विस-संयुक्त राज्य अमेरिका
www.attra.org

एशिया में राष्ट्रीय सहायता संगठन तथा प्रमाणन् निकाय :

http://www.fao.org/es/esc/en/15/262/highlight_270.html

आईएसओ 14001 प्रमाणन्

आईएसओ 14001 को निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में संगठनों के लिए पर्यावरणिक प्रबन्धन प्रणाली को कार्यान्वित करने में मदद करने के लिए बनाया गया है, इसको अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने बनाया था जो सरकारी उद्योग तथा उपभोक्ता प्रतिनिधियों के साथ काम करने वाले राष्ट्रीय मानक संस्थानों का एक प्राइवेट इण्टरनेशनल नेटवर्क है, जबकि अन्य आईएसओ के अनेक मानक हैं जिनका उपयोग पर्यावरणिक प्रबंधन साधन के रूप में किया जा सकता है। केवल आईएसओ 14001 ही प्रमाणन् के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आईएसओ मानकों का ग्रुप, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय संगत-स्वैच्छिक मानक निहित हैं, सभी औद्योगिक सेक्टरों में लागू होते हैं।

मुख्य अपेक्षाएं?

आईएसओ 14001 मानक यह अपेक्षा करता है कि उद्यम एक पर्यावरणिक प्रबन्धन प्रणाली विकसित करे जिसमें पर्यावरणिक उद्देश्य तथा लक्ष्य, इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए नीतियां और कार्य पद्धतियां हों, दायित्व परिभाषित किए गए हों, स्टाफ के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, प्रलेखन की व्यवस्था हो तथा कोई परिवर्तन किए जाए तो उनकी समीक्षा करने की व्यवस्था हो। आईएसओ 14001 मानक प्रबन्धन प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं जिसमें यह कहा गया है कि कंपनी इनका अवश्य अनुसरण करे तथा यह अपेक्षा करते हैं कि कम्पनी राष्ट्रीय पर्यावरणिक

विनियमनों का आदर करें, वैसे यह विशिष्ट निष्पादन स्तरों को निर्धारित नहीं करते अथवा यह भी अपेक्षा नही करते कि विशेष निष्पादन लक्ष्य पूरे किए जाएं।

कैसे प्रमाणित कराया जाए?

सरकारी अथवा निजी प्रमाणन् एजेन्सियों द्वारा अपने दायित्व के अधीन आईएसओ 14001 प्रमाणन् की मंजूरी दी जाती है। विश्व के कुछ भागों में राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय प्रमाणन एजेन्सियों को आईएसओ प्रमाणन करने के लिए अधिकृत करती हैं। अधिकतर मामलों में उत्पादक को कागजात तैयार करने तथा पर्यावरणिक प्रबन्धन योजना हेतु किसी परामर्शदाता को अवश्य नियुक्त कर लेना चाहिए।

अवसर तथा कठिनाइयां

औद्योगिक सेक्टर में आईएसओ 14001 एक सुपरिचित नाम है। प्रमाणन का उद्देश्य प्रबन्धन प्रणाली द्वारा पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है जो पर्यावरणिक निष्पादन सुधार द्वारा आंतरिक लाभ भी दे सकता है (उदाहरण के लिए कच्चा माल और ऊर्जा का इस्तेमाल कम करके या कूड़ा-करकट के प्रबन्धन में सुधार करके)। आईएसओ की मुख्य सीमाएं ये हैं कि निष्पादन की कोई अपेक्षाएं नहीं हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि कोई उद्यम जिसके बहुत ऊँचे पर्यावरणिक लक्ष्य हों और दूसरा जिसके कम लक्ष्य हों – दोनो ही प्रमाणित किए जा सकते हैं। इसलिए प्रभाव मुख्यतः कम्पनी विशेष की प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। इसके साथ ही, आईएसओ के 'लोगो' का इस्तेमाल उत्पादों पर नहीं किया जा सकता है। वैसे, आपका संगठन अपने विज्ञापन तथा जनसंपर्क गतिविधियों में यह संकेत दे सकता है कि यह आईएसओ 14001 द्वारा प्रमाणित है। इसका कोई मूल्य-प्रीमियम नहीं है। चूंकि काफी संख्या में कम्पनियां आईएसओ प्रमाणित हो रही हैं, इसलिए यह मानक मार्केट लाभ के लिए अब निर्धारक-फैक्टर नहीं हो सकता है, किन्तु कम्पनी के भीतर अन्य आंतरिक लाभ दे सकता है।

आईएसओ 14001 पर और अधिक सूचना

अन्तर्राष्ट्रीय

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (आईएसओ):
www.iso.org

एशिया में राष्ट्रीय सहायता संगठन और प्रमाणन् निकाय:

http://www.fao.org/es/esc/en/15/262/highlight_270.html

3. सामाजिक प्रमाणन्

न्यायसंगत-व्यापार (फेयर-ट्रेड)

न्यायसंगत व्यापार उत्पादकों को दिए जाने वाले उचित पारिश्रमिक पर आधारित है। खरीदकर्ता जो न्यायसंगत व्यापार के प्रति प्रतिबद्ध हों – उत्पादकों को न्यूनतम दाम के साथ-साथ फेयर ट्रेड प्रीमियम अवश्य दें। यह प्रीमियम उत्पादकों को स्वावलंबी बनने में सहायता करेगा तथा वे सामुदायिक विकास कार्यों में निवेश कर सकेंगे। इसके बदले में उत्पादक जो न्यायसंगत-व्यापार के प्रति प्रतिबद्ध हों – श्रमिक अधिकारों, पर्यावरणिक तथा सामाजिक अपेक्षाओं का अनुपालन अवश्य करें। मानक निर्धारण तथा प्रमाणन् का काम फेअर-ट्रेड लेबलिंग ऑर्गनाइजेशन (अन्तर्राष्ट्रीय एफएलओ) के नियन्त्रण में है। यह संगठन यूरोप, अमेरिका, एशिया तथा ओसियाना के 20 राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों का विश्वव्यापी एकछत्र संगठन है। एफएलओ से असम्बद्ध अन्य संस्थान भी फेयर-ट्रेड मानक निर्धारित कर रहे हैं।

एशिया के अनेक उत्पादक-समूह फेअर-ट्रेड उत्पादों के निर्यातों से लाभान्वित होते हैं। उदाहरण के लिए फिलिपीन्स जापान को फेयर-ट्रेड केलों और चीनी का निर्यात करता है, थाईलैण्ड फेयर-ट्रेड चावल निर्यात करता है, इण्डोनेशिया फेयर-ट्रेड कॉफी, भारत और श्रीलंका फेअर-ट्रेड वैनिला आदि।

फेयर-ट्रेड निधि से बच्चों के इस पुस्तकालय तथा क्रीड़ा-स्थल के निर्माण में मदद मिली

मुख्य आवश्यकताएं

प्रमाणन प्राप्त करने के लिए, उत्पादक–संघों को लोकतन्त्रात्मक ढंग से अवश्य काम करना चाहिए। फेयर–ट्रेड प्रीमियम कैसे खर्च किया जाना चाहिए और पर्यावरण के सुरक्षण के लिए क्या अपेक्षाएं हैं – इनके बारे में भी नियम मौजूद हैं। बागान के लिए श्रमिक अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार, संघ स्वतंत्रता, सामूहिक–सौदा, कार्यकर्ताओं के लिए मकान, सफाई, कार्यकर्ताओं का स्वास्थ्य और सुरक्षा, बाल या जबरन मजदूरी से संबंधित अनेक अपेक्षाएं हैं। इसके अतिरिक्त, उत्पादकों को उत्पादक देश में पर्यावरणिक तथा सामाजिक कानून का अवश्य पालन करना चाहिए तथा वार्षिक निरीक्षणों में निरन्तर सुधार दिखाना चाहिए (लेखा परीक्षण के दौरान)।

कैसे प्रमाणित कराएं?

एफएलओ फेयर ट्रेड सर्टिफिकेट उत्पादकों के एक समूह द्वारा एक संगठित लेबर फोर्स के साथ किसी कोआपरेटिव, फार्म–संघ अथवा बड़े फार्मों द्वारा लागू किया जा सकता है। स्थानीय लेखा–परीक्षक फार्म का निरीक्षण करते हैं तथा सर्टिफिकेशन एजेन्सी फ्लो–सर्ट लिमिटेड इस बात का फैसला करती है कि उत्पादक संघ को प्रमाणित किया जाय अथवा नहीं। एक बार प्रमाणित किए जाने पर फिर साल भर में नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और इस निरीक्षण में यह देखा जाता है कि उत्पादक फेअर–ट्रेड की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं अथवा नहीं तथा इसमें इस बात की जांच की जाती है कि वे फेयर–ट्रेड प्रीमियम का कैसे उपयोग करते हैं। जो व्यापारी अपने पैकेजों पर एफएलओ प्रमाणन् मार्क का उपयोग करते हैं वे इस समय लाइसेंस फीस देते हैं। उत्पादकों को फीस देनी होती है जो निरीक्षण की लागत पर निर्भर करता है।

सुअवसर और कठिनाइयां

प्रोड्यूसर एसोसिएशन अथवा प्लानटेशन फेयर–ट्रेड सर्टिफिकेशन से लाभान्वित हो सकते हैं क्योंकि प्रामाणिक उत्पादों से सामान्यतः स्थिर ढंग से उच्चतर एवं अधिक दाम मिलते हैं। उत्पादक को दिए जाने वाले दाम उत्पादन की लागतों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। यह ऐसी किसी अतिरिक्त लागत को भी ध्यान में रखती है – जो कार्यकर्ताओं को विद्यमान मजदूरी देने जैसी फेयर–ट्रेड आवश्यकताओं को पूरा करने से पैदा हो सकती है। आमतौर पर, अपने सदस्यों के रहन–सहन में सुधार करने के लिए समुदाय को कुछ संसाधन देने के लिए फेयर–ट्रेड प्रीमियम का प्रावधान रखा गया है।

फेयर–ट्रेड सिस्टम में एक मुख्य कठिनाई यह है कि जब कभी एफएलओ को यह पता चलता हो कि उनके फेयर–ट्रेड लेबल वाले उत्पादनों के लिए ही मार्केट है तो उत्पादकों का एक ग्रुप ही प्रमाणित हो पाता है। फेयर–ट्रेड सिस्टम में प्रवेश पाने के लिए पहला आवश्यक कदम यह है कि एफएलओ तथा फेयर–ट्रेड आयातकों से सूचना के लिए यह पूछें कि उत्पादों के लिए मार्केट के बारे में क्या अवसर हैं। दूसरी कठिनाई यह है कि जब कोई प्रोड्यूसर – संघ अथवा प्लांटेशन प्रमाणित हो जाता है तो इस बात की कोई गारण्टी नहीं होती कि सम्पूर्ण उत्पादन की बिक्री हो जाएगी और "फेयर–ट्रेड" के रूप में बाजार में आएगा।

फेयर–ट्रेड पर और अधिक सूचना

अंतर्राष्ट्रीय

- एफएलओ इण्टरनेशनल, बॉन, जर्मनी
  www.fairtrade.net
  ई–मेल : info@fairtrade.net दूरभाष : +49 228 949 230
- एफएलओ सर्टिफिकेशन यूनिट, बॉन/जर्मनी
  ई–मेल : info@flo-cert.net
- फेयर–ट्रेड उत्पादों को जापान निर्यात करना :
  - TransFair Japan: www.fairtrade-jp.org/
  - AlterTrade Japan: www.altertrade.co.jp/

एशिया में राष्ट्रीय सहायक संस्थान एवं प्रमाणन् निकाय:

http://www.fao.org/es/esc/en/15/262/highlight_270.html

एसए 8000 प्रमाणन

एसए 8000 एक स्वैच्छिक प्राइवेट कार्यस्थल प्रमाणन कार्यक्रम है जो अपेक्षाकृत अच्छी कार्य स्थिति पैदा करने के उद्देश्य से गैर-सरकारी ऑर्गनाइजेशन सोशल अकाउण्टेबिलिटी इण्टरनेशनल द्वारा विकसित किया गया है। एसए 8000 मानक अंतर्राष्ट्रीय कार्यस्थल प्रतिमानों पर आधारित हैं जिनमें सामाजिक न्याय, कार्यकर्ता-अधिकार तथा कार्य स्थिति से संबंधित विषय भी सम्मिलित हैं। कुछ बड़े फर्मों द्वारा निर्यात किए जा रहे केला, अनन्नास, तम्बाकू, शराब, डिब्बाबन्द फल, तथा संसाधित कॉफी एसएस 8000 द्वारा प्रमाणित होते हैं। दिसम्बर 2006 में एशिया में लगभग 500 एकक एसए 8000 प्रमाणित थीं (जिनमें भारत में 190 चीन लोकतांत्रिक गणराज्य में 140 तथा पाकिस्तान में 58 थे)।

मुख्य अपेक्षाएं?

सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य-पर्यावरणिक संघ बनाने तथा सामूहिक सौदागिरी की स्वतंत्रता एवं सामाजिक कार्यस्थल प्रबन्धन के लिए उद्यम संबंधी महत्वपूर्ण-कार्य सुनिश्चित करने के लिए 'एसए 8000' प्रमाणन् कार्य संचालन हेतु न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। कार्य-घण्टे, मजदूरी, भेदभाव की रोकथाम और बाल-श्रम एवं बेगारी के लिए भी नियमावली बनी हुई है।

प्रमाणित कैसे कराएं?

संचालित उत्पादन सुविधाओं को कर रहे उद्यम एसएआर द्वारा अनुमोदित प्रमाणन् एजेन्सियों मे से किसी एक से 'एसए 8000' सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रारम्भिक निरीक्षण के पश्चात और एक बार जब कार्य स्थल प्रमाणित हो जाए, कम्पनी मॉनिटर की जाती है जिससे मानकों के निरन्तर अनुपालन की बात सुनिशिचित हो जाए। उत्पादक कम्पनी प्रायः प्रमाणन् फीस देती है जिसमें लेखा-परीक्षा फीस और सुधारक तथा निवारक कार्यवाही खर्च सम्मिलित हैं। 'एसए 8000' सर्टिफिकेशन मार्क उत्पाद लेबलों पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है किन्तु कम्पनी इसका उपयोग प्रसार गतिविधियों के लिए कर सकती है। 'एसए 8000' प्रमाणित उत्पादों के लिए कोई विशिष्ट प्राइस-प्रीमियम मार्केट नहीं है।

अवसर तथा कठिनाइयां

'एसए 8000' सर्टिफिकेशन अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-अधिकारों के लिए सर्वाधिक विस्तृत कार्यस्थल मानक है। प्राथमिकतः यह बड़े-बड़े औद्योगिक कृषि उद्यमों को लाभ पहुँचाता है। ये उद्यम इसे अपने कार्पोरेट जनसम्पर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। 'एसए 8000' मानक उत्पादकता तथा गुणवत्ता सुधार सकते हैं और कार्यकर्ताओं

को भर्ती करने तथा उन्हें काम पर बनाए रखने के मामले में भी मदद करते हैं। यद्यपि यह अन्य उद्योगों में यह आम बात सी है, फिर भी, कृषि-उद्योग द्वारा 'एसए 8000' मानक धीरे-धीरे ही अपनाए गए हैं क्योंकि इन्हें मौसमी-उत्पादन के मामले में कार्यान्वित करना कठिन है।

सुरक्षित तथा स्वस्थ कार्य-सम्पादन वातावरण

एसए 8000 के संबंध में और अधिक सूचना

अन्तर्राष्ट्रीय

सोशल अकाउन्टेबिलिटी इन्टरनेशनल
दूरभाष : +1 212 6841414

ई-मेल : info@sa-intl.org
Web: www.sa-intl.org

एसए 8000 प्रमाणित संस्थानों की सूची हेतुः
www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=document.showDocumentByID&nodeID=1&DocumentID=60

एशिया में राष्ट्रीय सहायता संगठन एवं प्रमाणन निकाय

http://www.fao.org/es/esc/en/15/262/highlight_270.html

4. खाद्य पदार्थ सुरक्षण तथा सुप्रणाली प्रमाणन्

खाद्य पदार्थ सुरक्षण प्रमाणन् के लिए बढ़ती हुई मांग

यूरोपीय सुपर मार्केट चेन्स उत्तरोत्तर यह मांग कर रहे हैं कि उनके सप्लायर ग्लोबलगैप, बीआरसी तथा आईएफएस जैसे प्राइवेट खाद्य पदार्थ सुरक्षण मानक के तहत प्रमाणित किए जाएं। बहुत से यूरोपीय देशों में यह चेन ताजे उत्पाद की फुटकर बिक्री का 60 प्रतिशत से अधिक बैठता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक फुटकर बिक्री कम्पनी अपने सप्लायरों पर यहां तक कि और अधिक सशक्त गुणवत्ता अपेक्षाओं की शर्त लागू कर सकती है ताकि यह अपने उत्पादों को अपने अन्य प्रतिस्पर्धा वाली कम्पनियों के माल से एकदम भिन्न रूप में प्रदर्शित कर सके।

इसी तरह एशियन मार्केट में, स्थानीय सुपर मार्केट चेन्स अथवा स्थानीय कृषि प्रसंस्करण कारोबारियों द्वारा खाद्य पदार्थ सुरक्षण पर कुछ न्यूनतम प्रमाणन की अपेक्षा की जाती है और उत्पादक के उत्पाद की खरीद करने के लिए ये ग्राहक अतिरिक्त गुणवत्ता के लिए मांग कर सकते हैं। एशिया तथा अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट दोनों में कृषकों और खाद्य पदार्थ उत्पादकों को खाद्य पदार्थ सुरक्षण मानक के प्रति उत्तरोत्तर प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ेगी।

यह अध्याय खाद्य पदार्थ सुरक्षण तथा उत्पादन-सुप्रणाली के संबंध में स्वैच्छिक मानकों के अलग-अलग किस्मों से संबंध रखता है। यह कृषि विषयक, सुप्रणाली के लिए मानकों के साथ प्रारम्भ होता है। ये मानक कृषकों के लिए संगत बैठते हैं क्योंकि वे 'इनपुट' से लेकर फार्मगेट तक कृषि उत्पादन प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करते हैं। यह 'ग्लोबलगैप' प्रस्तुत करता है। यह एक स्वैच्छिक मानक है जिसकी यूरोप में बहुत से सुपर मार्केट चेनों द्वारा मांग की जाती है। इस समय नेशनल और क्षेत्रीय गैप मानक एशिया में कार्यान्वित हो रहे हैं। यह अध्याय अच्छी निर्माण प्रणालियों के मानकों के बारे में भी जानकारी देता है। ये मानक मुख्यतः उन फर्मों पर लागू होते हैं जो कृषि-उत्पादों को खाद्य पदार्थों में संसाधित करते हैं।

4.1 कृषि-सुप्रणाली (जीएपी)

4.1.1 जीएपी कृषि प्रणाली की भूमिका

कृषि की सुप्रणालियां क्या हैं (जीएपी)?

कृषि सुप्रणालियां वे प्रणालियां हैं जो ऑन-फार्म प्रक्रियाओं के लिए पर्यावरणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने से संबंधित कठिनाइयों को हल करें। इनसे सुरक्षित तथा गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ तथा गैर-खाद्य कृषि उत्पाद सहज ही मिलने लगते हैं (एफएओ 2003)

जीएपी कोड्स, मानक और विनियमन क्या है?

कृषि-सुप्रणाली कोड्स, मानक तथा विनियमन मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं जिन्हें हाल के वर्षों में खाद्य-उद्योगों, उत्पादकों, संगठनों, सरकारों और गैर-सरकारी संस्थान ने विकसित किया है जिसका उद्देश्य जिन्सों के एक रेन्ज के लिए फार्म स्तर पर कृषि-प्रणालियों को संहिताबद्ध करना है।

ग्लोबलगैप निरीक्षक यूरोप भेजे जाने वाले उत्पादों का निरीक्षण कर रहा है

कृषि-सुप्रणाली संहिता, मानक और विनियमन क्यों बने हैं?

कृषि-सुप्रणाली संहिता, कार्यक्रम अथवा मानक इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तथा विश्वभर में इनके सुरक्षण के बारे में चिन्ता बराबर प्रकट की जा रही है। व्यापार की शर्तों को पूरा करने के मामले में तथा सरकारी विनियमन अपेक्षाएं, खासकर खाद्य पदार्थों के सुरक्षण और गुणवत्ता के संबंध में, विशिष्टता के मामले में और विशिष्ट अपेक्षाएं अथवा माकूल बाजार के सन्दर्भ में व्यवसाय-स्थान आदि की दृष्टि से उनके उद्देश्य अलग-अलग होते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पाद का

सुरक्षण तथा गुणवत्ता, सप्लाई चेन के प्रबन्धन में सुधार कर नए बाजार–लाभ पकड़ में लाना प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में सुधार करना, कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य तथा उनकी कार्यप्रणाली की शर्तों में सुधार करना और विकासशील देशों में कृषकों तथा निर्यातकों के लिए बाजार के नए अवसर जुटाने की बात को सुनिश्चित करना, उनके उद्देश्यों की परिसीमा के अन्तर्गत आता है।

मुख्य लाभ और चुनौतियां क्या-क्या हैं?

कृषि–सुप्रणाली संहिता, मानकों तथा विनियमनों के अनेक लाभ हैं जिनमें खाद्य पदार्थ गुणवत्ता तथा सुरक्षण संचलन, मार्केट तक पहुंच की सुगमता और अनुज्ञात नाशिकीटमार, एमआरएल्स तथा अन्य प्रदूषण खतरों के संबंध में नियमों के अनुपालन नहीं करने के खतरों में कटौती करना शामिल है। कृषि–सुप्रणाली के कार्यान्वयन से संबंधित मुख्य चुनौतियां हैं– उत्पादन लागत में वृद्धि, खासकर रिकार्ड रखने अवशिष्ट परीक्षण तथा प्रमाणन्, सूचना प्राप्त करने के अपर्याप्त साधन तथा समर्थन–सेवाएं अपेक्षित मात्रा में न मिलना।

कृषि-सुप्रणाली पर और अधिक सूचना

FAO GAP: www.fao.org/prods/GAP/index_en.htm

4.1.2 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कृषि सुप्रणालियां (जीएपी)

4.1.2.1 ग्लोबल जीएपी

7 सितम्बर, 2007 को "यूरोपगैप" ने अपना नाम बदलकर "ग्लोबलगैप" रख दिया। ऐसा करने का उद्देश्य यह बतलाना था कि इसका 'वैश्विक क्षेत्र' कितना बढ़ गया है। 'ग्लोबलगैप' एक प्राइवेट सेक्टर निकाय है जो कृषि की सुप्रणाली के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन् मानक और कार्यपद्धतियां निर्धारित करती है। मूलतः इसकी सर्जना ग्रुप ऑफ यूरोपियन सुपर मार्केट चेन द्वारा की गई थी। कृषि की सुप्रणाली विकसित कर, जिसका उत्पादकों को अवश्य पालन करना चाहिए, ग्लोबलगैप का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में उपभोक्ता का विश्वास बढ़ाना है। 'ग्लोबलगैप' का ध्यान खाद्य पदार्थ सुरक्षण और अनुज्ञापन की सम्भाव्यता पर केन्द्रित रहता है। यद्यपि इसमें कार्यकर्ता की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण, पर्यावरण संरक्षण संबंधी

आवश्यकताएं भी सम्मिलित है। 'ग्लोबलगैप' एक प्री फार्मगेट मानक है जिसका अभिप्राय यह है कि इस प्रमाण पत्र के अन्तर्गत प्रमाणित उत्पाद की बीज बोने से लेकर फार्म छोड़ने तक की प्रक्रिया पद्धति शामिल है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्लोबलगैप विशुद्ध रूप से एक प्राइवेट मानक है।

'ग्लोबलगैप' ने अभी तक फल और सब्जियों, संयोज्य फसल, पुष्प तथा ऑर्नामेण्टल पादप, ग्रीन कॉफी, चाय, सूअर मुर्गी–पालन, पशु भेड़, डेरी तथा जलजीव कृषि (साल्मॉन) के लिए कृषि–सुप्रणाली विकसित की है, अन्य उत्पाद–स्रोत विकासाधीन है। उनकी वेबसाइट देखें।

मुख्य अपेक्षाएं?

ग्लोबलगैप मानक यह अपेक्षा करते हैं कि उत्पादक एक पूर्ण नियंत्रक और मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापित करे। उत्पाद पंजीकृत किए जाते हैं और विशिष्ट फार्म–यूनिट से उनका पता किया जा सकता है जहां वे उगाए गए थे। 'ग्लोबलगैप' नियमावली मृदा–धूम्रीकरण तथा उर्वरक उपयोग जैसे फील्ड–प्रैक्टिस के बारे में अपेक्षाकृत लचीले हैं। 'नाशिकीटमार' के भण्डारण तथा अवशिष्ट की सीमाओं के संबंध में कठोर नियमावली बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, यह रिकार्ड करना तथा प्रमाणित करना आवश्यक है कि उत्पाद कैसे उत्पादित किया गया, इसलिए फार्म नाशिकीटमार के बारे में विस्तृत रिकार्ड अवश्य रखा जाना चाहिए।

कैसे प्रमाणित कराया जाना चाहिए?

'ग्लोबलगैप' स्वयं प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है। परन्तु उसने इस काम को करने के लिए पंजीकृत प्रमाणन् निकाय प्रधिकृत किए हैं। यह सिफारिश की जाती है कि प्रमाणन निकाय जो प्रमाणन् कार्य पद्धति की औपचारिकताओं को पूरा करेगा, से सम्पर्क करने से पहले 'ग्लोबलगैप' के सामान्य नियमावली तथा संबंधित उत्पाद के स्कोप के नियंत्रण बिन्दु पढ़े जाएं। जो कृषक 'ग्लोबलगैप' के तहत प्रमाणित होना चाहते हैं उन्हें कतिपय खर्चों को भी ध्यान में रखना होगा। आमतौर पर उन्हें पंजीकरण, निरीक्षण तथा प्रमाणन् के लिए पैसा देना होगा। व्यष्टि उत्पादक तथा उत्पादकों का एक समूह दोनों ही प्रमाणन् के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसका खर्च चयन किए गए प्रमाणन् एजेन्सी तथा निरीक्षण पर लगे समय पर निर्भर करेगा।

प्रमाणन् एजेन्सी द्वारा प्रभारित सर्टिफिकेशन–फीस के अतिरिक्त, उत्पादक प्रमाणन् को बनाए रखने के लिए वार्षिक उत्पादक पंजीकरण फीस भी अवश्य दें।

मुख्य सुअवसर तथा कठिनाइयां

'ग्लोबलगैप' प्रमाणन प्राप्त करने के लिए, उत्पादक अथवा उत्पादकों के एक ग्रुप को एक पूर्ण प्रशासनिक प्रणाली की जरूरत होती है ताकि वह फार्म की सभी गतिविधियों पर नजर रख सके।

इसके लिए सशक्त प्रशासनिक तंत्र और काफी पैसा होना चाहिए जिसके फलस्वरूप बड़े उत्पादक के लिए खर्चे पूरा करना आसान हो जाता है।

'ग्लोबलगैप' प्रमाणित उत्पादक को एक और लाभ भी सकता है– जब वह उत्पाद को खुदरा व्यापारी को बेच रहा हो तो उसे 'ग्लोबलगैप' प्रमाणन् की अपेक्षा रहती है। सितम्बर 2007 को 'ग्लोबलगैप' में 35 खुदरा तथा फूड सर्विस सदस्य थे (34 यूरोप में और एक जापान में)।

'ग्लोबलगैप' के साथ कोई स्पेशल प्राइस–प्रीमियम अथवा प्रोडक्ट लेबल सम्बद्ध नहीं है क्योंकि यह 'बिजनेस–टू–बिजनेस' पर न्यूनतम–मानक केन्द्रित होता है।

'ग्लोबलगैप' पर और अधिक सूचना प्राप्त करने लिए :

अन्तर्राष्ट्रीय

स्टेकहोल्डर सम्पर्क :
GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH
www.globalgap.org
ई–मेल : info@foodplus.org दूरभाष : +49 221 579 9325

'ग्लोबलगैप' चीन लोकतांत्रिक गणराज्य में सम्पर्क व्यक्ति :
प्रोजेक्ट प्रबंधक चीन
दूरभाष : +86 133 2113 8571

एशियाई देशों में 'ग्लोबलगैप' द्वारा प्रत्यायित प्रमाणन् निकाय

www.globalgap.org/fruit/cbs.html?countryid=211&continentid=16

4.1.2.2 एएसईएएनजीएपी (ASEANGAP)

एएसईएएनजीएपी को 2006 में (सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ) एक मानक के रूप में अफ्रीकी एवं दक्षिण–पूर्वी एशियाई राष्ट्रों (ASEAN) क्षेत्र में उत्पादन के दौरान कृषि–सुप्रणाली, फसल कटने के समय तथा ताजे फलों और सब्जियों के फसल पश्चात् संचलन हेतु ASEAN सचिवालय द्वारा विकसित किया गया। एएसईएएनजीएपी का उद्देश्य है – ASEAN क्षेत्र में कृषि–सुप्रणाली राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सुमेल को बढ़ाना, उपभोक्ताओं के लिए फल और सब्जियों के सुरक्षण व्यवस्था को बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखना तथा फलों एवं सब्जियों के व्यापार को प्रादेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से सुगम करना।

मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं?

एएसईएएनजीएपी के चार मापदण्ड हैं–

- खाद्य पदार्थ सुरक्षण
- पर्यावरणिक प्रबन्धन
- कार्यकर्ता का स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण
- उत्पाद की गुणवत्ता

प्रत्येक मापदण्ड अकेले अथवा अन्य मापदण्डों के साथ संयुक्त रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। इससे एएसईएएनजीएपी का उत्तरोत्तर कार्यान्वयन किया जा सकता है जो मापदण्डवार और व्यष्टि देश की प्राथमिकताओं पर आधारित होता है।

कैसे प्रमाणित किया जा सकता है?

प्रत्येक ASEAN देश में प्रमाणन् का कार्य राष्ट्रीय प्राधिकारियों के द्वारा किया जाता है।

प्रमुख सुअवसर एवं कठिनाइयां

चूंकि एएसईएएनजीएपी उत्पाद मानकों के सुमेल को बढ़ाना तथा व्यापार को सुगम करना चाहता है – इसलिए प्रमाणित उत्पादकों के लिए अन्य ASEAN देशों में ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ाने के बहुत अच्छे अवसर हैं। अल्प विकसित ASEAN देशों के लिए गैप के अन्तर्गत आने वाले विकासशील राष्ट्रों में सन्दर्भिका (बेन्चमार्क) के रूप में एएसईएएनजीएपी का उपयोग करने का एक सुअवसर है क्योंकि एएसईएएनजीएपी में कार्यान्वयन–मार्गदर्शन सिद्धान्त और प्रशिक्षण सामग्री के साथ–साथ संस्तुत प्रणाली की संहिता शामिल है। सुमेल प्राप्ति के लिए सदस्य देश एएसईएएनजीएपी के प्रति अपने देश के जीएपी कार्यक्रम – सन्दर्भिका का इस्तेमाल कर सकते हैं।

एएसईएएनजीएपी की प्रमुख कठिनाई यह है कि यह केवल ताजे फलों और सब्जियों को शामिल करता है। यह उन उत्पादों को शामिल नहीं करता है जिनमें खाद्य–पदार्थ सुरक्षण का बहुत ज्यादा खतरा हो – जैसे फ्रेश–कट्स, प्रादेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में एएसईएएनजीएपी अभी भी बहुत नया मानक है। ASEAN गैप जैविक उत्पादों अथवा जीएमओ–मुक्त उत्पादों के प्रमाणन् के लिए एक मानक नहीं है।

'एएसईएएनजीएपी' पर और अधिक सूचना प्राप्त करने लिए :

ASEANGAP: www.aphnet.org/gap/ASEANgap.html

4.1.2.3 मलेशिया – एसएएलएम प्रमाणन्

मलेशिया ने अनेक स्वैच्छिक फार्म प्रमाणन् योजनाओं के साथ प्राथमिक उत्पादकों के लिए काफी गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम विकसित किए हैं जिनमें ताजे फल और सब्जियां सेक्टर प्रमाणन (एसएएलएम) पशुधन प्रमाणन् (एसएएलटी), मत्स्य एवं जलजीव संवर्धन प्रमाणन (एसपीएलएएम) और जैविक सेक्टर प्रमाणन् (एसओएम) शामिल हैं। कृषि विभाग द्वारा 2002 में फार्म स्कीम ऑफ मलेशिया के शुरू करने के साथ ही मलेशिया में 'गैप' मानकों का कार्यान्वयन प्रारम्भ हुआ। 'साल्म' एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे उन फार्मों को अधिकृत करने के लिए तैयार किया

गया है जो कृषि की सुप्रणाली को अपनाकर रक्षणीय और पर्यावरणिक तौर पर सुगमता से कार्य संचालन करते हैं। ऐसे गुणवत्ता वाले उत्पाद पैदा करते हैं और उपयोग के लिए सुरक्षित होते हैं।

एसएएलएम के अन्तर्गत तीन मुख्य पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है, नामतः

- फार्मों की पर्यावरणिक स्थिति
- फार्म प्रणालियों की जांच पड़ताल
- फार्म उत्पादों का सुरक्षण

मुख्य अपेक्षाएं क्या हैं?

इन तीन पहलुओं के अन्तर्गत 21 घटकों का मूल्यांकन किया जाता है जिनमें से 17 प्रकार का रिकार्ड अवश्य रखा जाए, एसएएलएम प्रमाणित फार्मों से प्राप्त सूचना में भूमि–उपयोग, मृदा–किस्म, स्रोत एवं सिंचाई, पानी की किस्म, मृदा को तैयार करना, मृदा धूमिकरण, उर्वरक कार्यक्रम, फसल कटाई तकनीक, क्षेत्र परिवहन, फसल के बाद की कार्यवाही, पैकेजिंग तथा फार्म–अवशिष्ट निपटान सम्मिलित है।

कैसे प्रमाणित कराएं?

कृषक पहले कृषि विभाग में अनिवार्यतः पंजीकरण करा लें और लेखा–परीक्षकों की एक टीम द्वारा फार्म का दौरा कराएं जिनकी रिर्पोट सचिवालय के अनुमोदन के अध्यधीन है, फार्म का दूसरी बार दौरा करने पर फार्म–प्रत्यायन समिति के लिए तकनीकी रिर्पोट तैयार करने में सुगमता हो जाती है। स्वीकार हो जाने पर फार्म को जीएपी का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है और एसएएलएम के 'लोगो' लगाने की अनुमति दे दी जाती है। तब फार्मों की कृषि–प्रणालियों तथा फार्म उत्पाद और पानी के अनुवर्ती अवशिष्ट विश्लेषण के संदर्भ में जांच की जाती है।

मुख्य सुअवसर तथा कठिनाइयां

यह बतलाया जाता है कि एसएएलएम–पंजीकृत फार्मों को स्थानीय–मार्केट में प्राथमिकता मिलती है क्योंकि वे अधिमान्यता प्राप्त–सप्लायरों के रूप में योग्य

समझे जाते हैं और अपनी विशिष्टता, अपने उत्पाद की गुणवत्ता से प्रकट करते हैं। वैसे, प्रमाणित-फार्मों से आने वाले उत्पादों के लिए कोई प्रीमियम नहीं दिया जाता है। एसएएलएम पंजीकृत फार्म 'मलेशिया-बेस्ट लोगो' प्राप्त करने के पात्र हैं जो फेडरल अग्रीकल्चरल मार्केटिंग अथॉरिटी द्वारा दिया जाने वाला एक ब्राण्डिंग-अनुष्ठान है। निर्यात के क्षेत्र में, सिंगापुर के साथ हुए एक द्विपक्षीय करार के अनुसार भेजे गये माल को अधिमान्यता दी जाती है।

वैसे, चूंकि इस योजना का प्रबन्धन, लेखा-परीक्षण तथा प्रमाणन् कृषि विभाग द्वारा किया जाता, फिर भी इसमें पारदर्शिता की कमी है, एसएएलएम स्कीम को भी अन्य देशों अथवा प्राइवेट मानकों के समतुल्य मान्यता नहीं मिली है, भले ही सितम्बर 2007 में शुरू की गई 'ग्लोबलगैप' सन्दर्भिका इस स्थिति को बदल देगी।

मलेशिया-एसएएलएम पर और अधिाक सूचना

- कृषि विभाग, मलेशिया
  www.doa.gov.my/main.php
- एसएएलएम स्कीम, मलेशिया
  www.doa.gov.my/main.php?Content=contentdetails&Content ID=12&CurLocation=0&Page=1

4.1.2.4 थाईलैण्ड - क्यू गैप (Q GAP) एवं थाईगैप (Thai GAP) प्रमाणन्

निर्यात और घरेलू दोनों बाजारों की गुणवत्ता और सुरक्षण अपेक्षाओं के सन्दर्भ में, थाईलैण्ड की सरकार ने गुणवत्ता तथा सुरक्षण 'क्यू' प्रमाणन् कार्यक्रमों के विकास, प्रारम्भ तथा कार्यान्वन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खाद्य उत्पादन सुरक्षण के प्रत्येक चरण पर प्रमाणित करने के लिए एक 'क्यू स्कीम' चलाई गई है जिसके अन्तर्गत सभी कृषि उत्पादों (फसल, पशुधन तथा मत्स्य पालन) के लिए

'क्यू-लोगो' का इस्तेमाल किया जाता है। कृषि विभाग अनेक प्रमाण पत्रों की मंजूरी देता है जिनमें 'क्यू गैप', 'क्यू पैकिंग हाऊस' तथा 'क्यू शॉप' इत्यादि शामिल हैं। प्रमाणन् के तीन स्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के सिद्धान्तों में संशोधन करके चल रहे फार्म उत्पादन के लिए, कृषि सुप्रणाली - एक गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली विकसित की गई थी। स्तर-1 : नाशिकीटमार अवशिष्ट सुरक्षण है। स्तर-2 : नाशिकीटमार अवशिष्ट सुरक्षण तथा कीट मुक्त एवं स्तर-3 : नाशिकीटमार अवशिष्ट सुरक्षण, कीट मुक्त तथा प्रीमियम क्वालिटी के साथ।

मुख्य अपेक्षाएं क्या हैं?

मानकों में आठ नियंत्रण बिन्दुओं, उनकी अपेक्षाएं तथा उनका कैसे निरीक्षण किया जाए - इन सब बातों को परिभाषित किया गया है। ये नियंत्रण बिन्दु हैं : जल स्रोत, खेती-स्थल, कृषि संबंधी खतरनाक पदार्थों का उपयोग, उत्पाद भण्डारण, स्थल पर ही परिवहन व्यवस्था, आंकड़ों का रिर्काड, रोग एवं कीट मुक्त उत्पादों का उत्पादन, गुणवत्ता कृषीय उत्पादन एवं फसल-कटाई तथा फसलोपरान्त की जाने वाली प्रबन्धन व्यवस्था। पहले पांच नियंत्रण बिन्दु स्तर-1 के लिए अपेक्षित हैं। नियंत्रण बिन्दु 1-6 स्तर 2 के लिए तथा आठ बिन्दु स्तर प्रमाणन् के लिए हैं।

कैसे प्रमाणित कराया जाए?

यह योजना स्वैच्छिक है तथा इसका प्रबन्धन सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि जिन्स तथा खाद्य मानक ब्यूरो प्रत्यायित निकाय है जबकि कृषि विभाग प्रमाणन् और कार्यान्वयन का काम करता है। कृषक अपना आवेदन प्रपत्र तथा संगत प्रलेख अपने कृषि अनुसंधान एवं विकास के स्थानीय कार्यालय को भेजते हैं जो निरीक्षण का काम सम्पन्न करता है। कृषक को निरीक्षण के परिणाम से अवगत करा दिया जाता है और कोई सुधारात्मक कार्यवाही कैसे की जाएगी इसके लिए काफी दिन दिए जाते हैं। इसके बाद 'गैप' निरीक्षण फॉर्म ओएआरडी बोर्ड को भेजा जाता है। वह इसकी समीक्षा कर जीएपी प्रमाणन् उप-समिति को भेजता है। उप-समिति सूचना का संकलन करती है और उसे खाद्य सुरक्षण प्रबन्धन समिति को भेजती है जो तब जीएपी प्रमाण-पत्र जारी करती है।

मुख्य सुअवसर तथा कठिनाइयाँ

वर्तमान में क्यू–गैप सर्टिफिकेट के लिए कोई फीस नहीं ली जाती। इस योजना का लेखा–परीक्षण एवं प्रमाणन् दोनों कार्य कृषि विभाग करता है। यह सिस्टम तथा प्रमाणन् मार्क अन्तर्राष्ट्रीय रूप से बेन्चमार्कड नहीं है। एक मानक निर्मित करने के लिए जो अन्तर्राष्ट्रीय रूप से बेन्चमार्कड किया जा सके, इसके संबंध में 'थाई चेम्बर ऑफ कॉमर्स' ने थाई सरकार के सहयोग से 'थाई गैप' विकसित करने हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इस नियम–पुस्तिका के प्रकाशन के समय थाई स्टेक होल्डर तथा 'ग्लोबल गैप' के बीच 'थाई गैप' पर सहयोग की बातचीत अभी शुरू ही हुई थी। यह योजना बनाई गई कि 'थाई गैप' 2008 के अन्त तक 'ग्लोबल गैप' के साथ बेन्चमार्किन्ग प्राप्त कर लेगा।

थाईलैण्ड– 'क्यू गैप' और 'थाई–गैप' पर और सूचना इस प्रकार प्राप्त करें :

कृषि और सहकारिता मंत्रालय थाईलैण्ड
www.acfs.go.th
www.doa.go.th/en/

Inspection Manual for Certification:
www.aphnet.org/workshop/SPS%20matters/Thailand/thai%20gap.pdf

The Thai Chamber of Commerce, Bangkok
www.thaiechamber.com
दूरभाष : + 66 2622 1860

4.1.2.5 जापान–जेजीएपी प्रमाणन्

अप्रैल 2005 में जापानी उत्पादकों के एक ग्रुप ने जापान गुड अग्रीकल्चरल इनिशिएटिव नामक संस्था बनाई जिसका उद्देश्य जपान में कृषि सुप्रणाली का एक साझा मानक स्थापित करके एक ऐसी प्रणाली बनाना है जो कृषि उत्पाद के सुरक्षण को सुनिश्चित कर सके। जापान के कृषि मंत्रालय ने 2006 में यह घोषणा की कि "जेजीएपी" राष्ट्रीय मानक होगा, जिसका यह अभिप्राय होगा कि अनेक प्राइवेट खुदरा व्यापारी और वर्तमान मंत्रालय गैप स्कीम उसी छत्र के अधीन आएगी। खुदरा व्यापारियों द्वारा देश के भीतर तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से इस योजना की मान्यता को सुदृढ़ करने के लिए जेजीएपी को ग्लोबल–गैप के प्रति

बेन्चमार्क करने का निर्णय लिया गया। ग्लोबल–गैप बेन्चमार्किंग का काम अगस्त 2007 में पूरा हुआ।

मुख्य अपेक्षाएं क्या हैं?

जेजीएपी योजना चार अध्यायों में विभक्त हैं।

- खाद्य सुरक्षण – जिसमें उर्वरक, बीज, उत्पाद संचलन के ठोस नियंत्रण बिन्दु शामिल हैं।
- पर्यावरणिक निरूपण जिनमें पानी, मृदा, ऊर्जा, पास–पड़ोस स्थल सम्मिलित हैं।
- कार्यकर्ता कल्याण एवं सुरक्षण जिनमें न्यूनतम मजदूरी एवं प्रशिक्षण भी शामिल है।
- बिक्री प्रबन्धन जिसमें रिकार्ड रखना तथा अनुज्ञापन शामिल है।

कैसे प्रमाणित किया जाता है?

जेजीएपी का प्रबन्ध एक स्टेरिंग कमेटी द्वारा किया जाता है जो जेजीएपी की नीति का मार्गदर्शन करने के मामले में मूलभूत प्राधिकारी है। स्टेरिंग कमेटी की एक तकनीकि समिति है जो मानक तथा सामान्य विनियमन के विकास के लिए काम करती है। इसके साथ ही एक परिषद् भी है जो सप्लायरों तथा रिटेलरों के स्टेक होल्डर के व्यापक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। प्रमाणन् का काम सुयोग्य थर्ड पार्टी प्राइवेट सेक्टर लेखा–परीक्षकों द्वारा किया जाता है।

प्रमुख सुअवसर तथा कठिनाइयाँ

जेजीएपी जापानी कृषकों को सुअवसर देता है क्योंकि यह स्केल ऑफ फार्मिंग, पर्यावरणिक, विधि विषयक मामलों, संस्थओं और भाषा के विशेष सन्दर्भ में जापानी कृषि की विशिष्ट विशेषताओं को प्रतिबिम्बित करता है। जेजीएपी की चुनौतियाँ छोटे–छोटे किसानों के बीच कम खर्चे पर 'गैप' कार्यान्वित करने, किसानों को संगठित करने तथा गैप–स्कीम के सभी व्यष्टि रिटेलरों के सुमेल के काम पर निर्भर करता है।

नई अनुमोदित चेक लिस्ट बेन्चमार्किन्ग कार्य पद्धति के साथ जेजीएपी को ग्लोबगैप

पर बेन्चमार्क्ड कर दिया गया है। जेजीएपी 'लोगो' विद्यमान है, किन्तु इसका इस्तेमाल कारोबार-से-कारोबार के सौदों के लिए किया जाएगा और बिक्री के अंतिम बिंदु पर नहीं किया जाएगा।

जापान- जेजीएपी पर अधिक सूचना :

JGAP: www.jgai.jp/

4.1.2.6 चीन लोकतांत्रिक गणराज्य - ग्रीनफूड एवं चायनाजीएपी (ChinaGAP) प्रमाणन्

चीन की सरकार ने फूड-चेन में राज्य-कृषि-उत्पाद तथा खाद्य प्रमाणन् प्रणाली स्थापित की है और कृषि में प्रमाणन् लागू करने के लिए दो जीएपी कार्यक्रम विकसित किए हैं। इन दो 'गैप' कार्यक्रमों का अभीष्ट कृषि को प्रोत्साहित करना, खाद्य पदार्थ-सुरक्षण से सम्बद्ध खतरों को कम करना, कृषि उत्पादों के सप्लाई-चेन के विभिन्न सेक्टरों में ताल-मेल बिठाना, अन्तर्राष्ट्रीय कृषि सुप्रणाली मानकों के विकास तथा संगत प्रमाणन् एवं प्रत्यायित गतिविधियों को तेज करना है। कृषि मंत्रालय ने चीनी-राष्ट्रीय बाजार के लिए कृषि-सुप्रणालियां विकसित करने के लिए ग्रीन-फूड मानक विकसित किए गए हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार को सप्लाई करने के लिए चायना गैप का विकास चीन सरकार तथा ग्लोबल-गैप द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। औपचारिक बेन्चमार्किंग कार्यपद्धति को शुरू करने के लिए अप्रैल 2006 में "ग्लोबल-गैप" के साथ एक सद्भावना ज्ञापन (मेमोरैन्डम ऑफ अण्डरस्टैन्डिंग) पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्य अपेक्षाएं क्या हैं?

चीनी-गैप प्रमाणन् द्वि-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाएगा। द्वितीय श्रेणी प्रमाणन् कृषकों को केवल 'ग्लोबल-गैप' सिस्टम पर आधारित अनिवार्य बातों (मेजर मस्ट्स) का अनुपालन करने की जरूरत है जबकि प्रथम श्रेणी प्रमाणन् के अन्तर्गत सभी प्रमुख एवं गौण अनिवार्यताएं (मेजर और माइनर मस्ट्स) का अनुपालन करने की अपेक्षा है। प्रथम श्रेणी चीन-गैप-प्रमाणन में यह परिकल्पना की गई है कि वह 'ग्लोबल-गैप-प्रमाणन्' के अनुरूप हो।

कैसे प्रमाणित कराया जाए?

प्रमाणन् और प्रत्यायन-पत्र पर चीनी विनियमनों का प्रकाशन नवम्बर 2003 में हुआ एवं राज्य परिषद् ने प्रमाणन् एवं प्रत्यायन प्रशासन को प्राधिकृत कर दिया कि वह प्रमाणन् प्रक्रिया का प्रबन्ध, प्रशासन तथा प्राधिकार विषयक काम करें और निरीक्षकों, परीक्षण-निकायों एवं लेखा-परीक्षकों को प्रशिक्षण दें। सीएनसीए ने चीनी-गैप संहिताएं, नियमावली तथा प्रशिक्षण प्रलेखों को प्रकाशित किया और 2007 के मध्य में चीन लोकतांत्रिक गणराज्य के 18 प्रान्तों में प्रारम्भिक मार्गदर्शी प्रमाणन और प्रत्यायन विषयक गतिविधियों के साथ कार्य शुरू किया।

मुख्य सुअवसर तथा कठिनाइयां

चीनी किसानों के लिए अपने कृषि उत्पादन की गुणवत्ता तथा सुरक्षण में सुधार करने के लिए चायना-गैप एक 'सुअवसर' है। चूंकि प्रथम-श्रेणी प्रमाणन् की अपेक्षाएं बहुत ऊंची हैं, इसलिए सीमित संख्या में ही चीनी कृषक प्रमाणित हो सकेंगे। इस नियम-पुस्तक के प्रकाशन के समय 217 उद्यम चायना-गैप के अनुसार काम कर रहे थे और 116 उद्यमों को चायना-गैप के लिए पहले ही प्रमाणित कर दिया गया था। ग्लोबल-गैप के साथ अभी बेंचमार्किंग होना बाकी है ताकि यह निकट भविष्य में कारगर हो सके।

कॉफी बागान को पर्यावरणिक, सामाजिक खाद्य पदार्थ सुरक्षण प्रमाणन् की अपेक्षा हो सकती है

ग्रीन फूड तथा चायना-गैप पर और अधिक सूचना

कृषि मंत्रालय का ग्रीन फूड विकास केन्द्र
www.greenfood.org.cn

Certification and Accreditation Administration (CNCA): www.cnca.gov.cn

4.1.2.7 भारत-इण्डिया-गैप

इस नियम पुस्तिक के प्रकाशन के समय, भारतीय कृषि एवं संसाधित उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार ने इण्डिया-गैप विकास का काम प्रारम्भ कर दिया था। मानक के उद्देश्य में से एक उद्देश्य ग्लोबल-गैप के साथ बेन्चमार्क मान्यता प्राप्त करना है ताकि भारतीय कृषि उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजार का दरवाजा खुल जाए।

इण्डिया-गैप पर और अधिक सूचना

कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार, नई दिल्ली
Email: headq@apeda.com दूरभाष : +91 11 2651 3204

4.2 निर्माण सुप्रणाली प्रमाणन्

4.2.1 अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मानक प्रमाणन्

2002 में जर्मन रिटेलर्स ने खाद्य सुरक्षण प्रबन्धन प्रणाली के लिए एक कॉमन-स्टैन्डर्ड विकसित किया जिसे इण्टरनेशनल फूड स्टैन्डर्ड नाम से अभिहित किया गया। 2003 में फ्रेन्च फूड रिटेलर्स (एण्ड होलसेलर्स) अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मानक व किंग ग्रुप में सम्मिलित हो गए हैं और मानक-प्रलेख के वर्तमान दस्तावेज को विकसित करने में योगदान दे रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मानक को एकसार-यन्त्र के रूप में तैयार किया गया है जिससे खाद्य सुरक्षण सुनिश्चित हो सके तथा रिटेलर-ब्रान्डेड फूड प्रोडक्ट्स के उत्पादकों का गुणवत्ता स्तर मॉनीटर हो सके। ये मानक खाद्य पदार्थों के संसाधन के सभी चरणों में उनके अनुवर्ती कृषि उत्पाद पर लागू होंगे।

मुख्य अपेक्षाएं क्या हैं?

अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मानक कार्यक्रम प्रमाणन के दो स्तरों की अनुमति देता है।

- अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य उद्योग के लिए आधार-स्तर को न्यूनतम अपेक्षाएं समझा जाता है।

- उच्चतर-स्तर को खाद्य उद्योग में उत्कृष्ट मानक समझा जाता है।

'आधार-स्तर कसौटी' में 230 मदें शामिल हैं जबकि 'उच्चतर-स्तर-कसौटी' में 60 अतिरिक्त कसौटियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन कंपनियों के लिए जो सेक्टर में सर्वोत्तम-प्रैक्टिसों का प्रदर्शन करना चाहते हैं उनके लिए 46 सुझाव तैयार किए गए हैं। मानक के प्रत्येक कसौटी के लिए, अनुपालन तथा कसौटी-स्तर के अनुसार कतिपय पॉइन्ट रखे जाते हैं। प्रमाण-पत्र (आधार अथवा उच्चतर स्तर के) प्राप्त पॉइन्टों की संख्या के हिसाब से दिया जाता है।

कैसे प्रमाणित कराया जाए?

अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मानक प्रमाणन 'साइट-स्पेसिफिक' हैं। जिसका अर्थ है कि ऑडिट-स्कोप उस साइट में सीमित होता है जहां ऑडिट किया जाता हो, किन्तु इस 'साइट' में उत्पादित सभी किस्म के उत्पादों को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। पुनः मूल्यांकन बारम्बारता साल में एक बार होती है। उच्चतर-स्तर के प्रमाणन् के लिए जिसकी पहले ही दो बार पुष्टि हो चुकी है और जिसमें मौसमी उत्पाद नहीं आते, पुनः मूल्यांकन बारम्बारता घटाकर 18 महीने कर दी गई है। प्रमाणन् लागतों को बढ़ाने-घटाने का काम प्रमाणन् निकाय द्वारा किया जाता है, किन्तु 1.5 दिनों के लिए 'ऑन-साइट-ऑडिट' के लिए 2000 अमेरिकी डॉलर की औसत है।

सुअवसर तथा कठिनाइयां

अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य प्रमाणन् की लगभग सभी जर्मन और फ्रान्सिसी खुदरा-व्यापारियों तथा अन्य यूरोपीय देशों के अनेक खुदरा व्यापारियों द्वारा मांग की जाती है। वर्तमान में, खुदरा-व्यापारी आईएफएस प्रमाणन् की मांग केवल प्राइवेट-लेबल खाद्य उत्पादों के सप्लायरों से ही करते हैं।

एशिया में आईएफएस प्रमाणित सप्लायरों की संख्या अभी भी कम है, किन्तु क्योंकि यूरोप में मानकों का उपयोग बढ़ रहा है और एशिया में आईएफएस-अधिकृत प्रमाणक निकायों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए निर्यातकों के लिए आईएफएस प्रमाणन् योजना के अधीन प्रमाणित होकर यूरोपीय मार्केट में अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के बहुत अवसर हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों के बारे में और अधिक सूचना

IFS:
www.food-care.info
e-mail: info@food-care.info **दूरभाष** : +49 (0) 30 726 250 74

4.2.2 सुरक्षित गुणवत्ता खाद्य पदार्थ (एसक्यूएफ) संहिता

सुरक्षित गुणवत्ता खाद्य पदार्थ (एसक्यूएफ) संहिताओं की स्थापना पश्चिमी आस्ट्रेलिया के कृषि विभाग द्वारा 1996 में की गई थी। 2003 में मानकों का विश्वव्यापी स्वामित्व संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य विपणन संस्था (एफएमआई) को हस्तान्तरित कर दिया गया था और वर्तमान में एसक्यूएफ कोड्स का प्रबन्धन एफएमआई के अधीन स्थापित एसक्यूएफ संस्थान के तहत किया जाता है।

मुख्य अपेक्षाएं क्या हैं?

सुरक्षित गुणवत्ता खाद्य (एसक्यूएफ) पूर्णतः विलयित-स्वैच्छिक खाद्य सुरक्षण कार्यक्रम है और खाद्य सप्लाई-चेन में सभी कड़ियों के सम्प्रयोग के साथ खाद्य उद्योग के लिए गुणवत्ता-प्रबन्धन-प्रोटोकोल तैयार किया जाता है। कोड्स कोडेक्स अलिमेन्टेरियस एचएसीएसीपी गाइडलाइन्स पर आधारित हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद-सप्लायरों के लिए दो प्रमाणन् कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं :

- एसक्यूएफ 1000 : प्राथमिक उत्पादक तथा उनसे संबंधित मामलों के लिए विशिष्ट (प्री-फार्मगेट प्रोडक्शन, फसल कटाई, प्राथमिक उत्पादों की तैयारी)
- एसक्यूएफ 2000 : खाद्य उद्योगों तथा उनसे संबंधित मामलों के लिए विशिष्ट (कच्ची सामग्री तथा अवयवों, संसाधित अथवा तैयार खाद्य, मादक पेय अथवा सेवाएं)

प्रत्येक कार्यक्रम में प्रमाणन के तीन स्तरों की अनुमति है :

- स्तर-1 (खाद्य पदार्थ सुरक्षण के मूल सिद्धान्त) : प्रमाण-पत्र यह आश्वस्त कर देता है कि कंपनी पूर्वापेक्षित कार्यक्रमों (कृषि अथवा निर्माण की सुप्रणाली)

और मूल सिद्धान्त खाद्य सुरक्षण नियंत्रण कार्यों को कार्यान्वित करती है।

- स्तर-2 (प्रत्यायित एचएसीसीपी खाद्य सुरक्षण योजनाएं) : यह प्रमाण पत्र आश्वस्त कर देता है कि यह कंपनी एचएसीसीपी तरीके के अनुसार पूर्वापेक्षित कार्यक्रमों तथा खाद्य सुरक्षण योजना को कार्यान्वित करती है।
- स्तर-3 (विस्तृत खाद्य सुरक्षण तथा गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली विकास) : यह प्रमाण पत्र यह आश्वस्त करता है कि यह कंपनी उन पूर्वापेक्षित कार्यक्रमों तथा खाद्य सुरक्षण योजना को कार्यान्वित करती है जो एचएसीसीपी के सिद्धान्तों पर आधारित हों और जो अल्प गुणवत्ता संबंधी घटनाओं को रोकता हो।

स्तर-2 को कार्यान्वित करने के लिए उत्पादकों को स्तर-1 तथा अतिरिक्त अपेक्षाओं का अवश्य पालन करना चाहिए। इसी तरह स्तर-3 को कार्यान्वित करने के लिए उत्पादकों को स्तर-2 तथा अतिरिक्त अपेक्षाओं का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक स्तर के लिए, उपबन्धों का पालन करना अनिवार्य है जिसके लिए तनिक भी छूट नहीं दी जाएगी।

कैसे प्रमाणित कराया जाए?

केवल लाइसेन्सशुदा एसक्यूएफ पंजीकृत लेखा-परीक्षक तथा अधिकृत प्रमाणन् निकाय ही एसक्यूएफ कोड्स के प्रति प्रमाणित कर सकते हैं। जब एक बार स्तर-1 प्राप्त कर लिया जाता है तो सप्लायर का नाम एसक्यूएफ रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा जिसे एसक्यूएफ वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्य अवसर तथा कठिनाइयां

एसक्यूएफ-प्रमाणन् सप्लायरों को बहुत से लाभ तथा यश प्रदान करता है। अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त किसी एक स्वैच्छिक मानक का अनुपालन करने से एसक्यूएफ विभिन्न मानकों के तहत बहुत से लेखा-परीक्षाओं से गुजरने की आवश्यकता को कम कर देता है तथा सप्लायरों को प्रमाणन् योजनाओं की एक रेन्ज के लिए बहु-लेखा-परीक्षाओं के अनुपालन से संसाधनों को शिफ्ट करने की अनुमति देता है। एसक्यूएफ कारोबार-से-कारोबार की योजना है जो मुख्यतः उन प्राइमरी उत्पादकों के लिए बनाई गई है जो खाद्य निर्माताओं को उत्पादों की बिक्री करते हैं। इसलिए इस संबंध में कोई उत्पाद लेबल नहीं हैं।

एसक्यूएफ पर और अधिक सूचना

एसक्यूएफ संस्थान
www.sqfi.com
दूरभाष : +1 202 220 0635

Asia Pacific SQF certifier:
Silliker Global Certification Services Pty Ltd,
www.silliker.com/australia/home.php
Tel.: +61 (0)3 8878 3204 Fax: +61 (0)3 8878 3210

4.2.3 ब्रिटिश खुदरा संघ मानक (बीआरसी)

बीआरसी मानक एक प्राइवेट स्वैच्छिक मानक है जिसे ब्रिटिश खुदरा संघ ने विकसित किया है। इस मानक की स्थापना उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा ब्रिटिश खुदरा व्यापारियों द्वारा ब्रिटिश खाद्य सुरक्षण अधिनियम का अनुपालन कर सकने के लिए की गई है। इसलिए ब्रिटिश खुदरा संघ मानक को एक साधन के रूप में समझा जा सकता है जो खुदरा व्यापारियों को खाद्य-उत्पादों के सप्लायरों के मामले में लेखा-परीक्षा के लिए एक साझा-आधार प्रस्तुत करता है। इस मानक के इस्तेमाल में एचएसीसीपी के सिद्धान्तों के अभिस्वीकरण तथा कार्यान्वयन, प्रलेखित तथा कारगर गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना और इसके साथ-साथ कार्यप्रणाली का अनुकूल वातावरण बनाए रखना, उत्पाद, संसाधन प्रक्रिया तथा कार्मिकों की अपेक्षा होती है। इसे कोई भी खाद्य सप्लायर कम्पनी लागू कर सकती है।

बीआरसी मानक के प्रयोग में थर्ड-पार्टी द्वारा प्रमाणन् की आवश्यकता होती है। प्रमाणित-उत्पाद बाजार में अपनी विशिष्टता बताते हैं क्योंकि उन पर बीआरसी 'लोगो' चिन्हित होता है।

बीआरसी पर और अधिक सूचना

बीआरसी मानक
www.brc.org.uk/standards/

4.2.4 आईएसओ 22000

आईएसओ मानक को खाद्य सुरक्षण प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना को सुगम करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें एचएसीसीपी सिद्धान्त तथा अनुज्ञापन सम्मिलित हैं। आईएसओ 22000 को अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के साथ-साथ यूरोपीय संघ के खाद्य एवं पेय उद्योग संघ, अन्तर्राष्ट्रीय होटल एवं रेस्तरां संघ, सीआईईएस ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव तथा विश्व खाद्य सुरक्षण संगठन ने सविस्तार प्रतिपादित किया है। इसलिए आईएसओ 22000 गैर-सरकारी, स्वैच्छिक आधार पर विश्वव्यापी रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षण प्रबन्धन प्रणाली की अपेक्षाओं को सुमेलित करता है। फूड चेन का कोई भी स्टेकहोल्डर (फसल-उत्पादक, फीड प्रोड्यूसर, खाद्य उत्पादक, संसाधक थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी) इस मानक के लिए आवेदन कर सकता है। आईएसओ 22000 का स्वतंत्र रूप से अथवा समुच्चय रूप में अन्य प्रबन्धन प्रणाली मानकों के साथ उपयोग किया जा सकता है। आईएसओ 'लोगो' का उत्पादों पर उपयोग नहीं किया जा सकता है।

आईएसओ 22000 मानकों पर और अधिक सूचना

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान
www.iso.org

4.2.5 एशिया में जीएपी तथा जीएमपी के लिए राष्ट्रीय सहायक संगठन तथा प्रमाणन् निकाय

http://www.fao.org/es/esc/en/15/262/highlight_270.html

5. मूलभूत खाद्य पदार्थ गुणवत्ता के लिए प्रमाणन्

हाल के वर्षों में ऐसे खाद्य पदार्थों जो प्रत्यक्षतः अपने भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों से संबंधित नहीं हैं, के विशिष्ट लक्ष्यों को प्रकाश में लाने के लिए अनेक स्वैच्छिक प्राइवेट प्रमाणन् कार्यक्रम सामने आए हैं। इसके बदले में, ये कार्यक्रम सांस्कृतिक अथवा भौगोलिक विशेषताओं पर जोर देते हैं। इस अध्याय में दो ऐसी योजनाओं का परिचय दिया गया है – भौगोलिक संकेत और हलाल।

5.1 भौगोलिक संकेत (जीआई)

भौगोलिक संकेत एक प्राइवेट स्वैच्छिक मानक है जिसे बौद्धिक सम्पत्ति के प्रभारी राष्ट्रीय प्रशासन के माध्यम से उत्पादक–समूह अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किया गया है। जीआई गुणवत्ता की वह सील है जो कच्चे उत्पाद तथा संसाधित खाद्य पदार्थें के लिए जानकारी, परम्परा, विभिन्नता तथा गुणवत्ता के प्रसार करने में मदद करती है। जीआई उत्पाद–विशेष की विभेदक स्थिति की जानकारी देता है और ऐसे विशिष्ट गुण–लक्षणों को बतलाता है जो अनिवार्यतः इसके मूल गुणों का विवेचन करता है क्योंकि उत्पाद किसी पूर्व–निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र से आता है। आमतौर पर, ये लक्षण उपभोक्ताओं द्वारा कुछ हद तक स्थानीय, राष्ट्रीय या यहां तक कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही मान्यता प्राप्त होते हैं, जीआई भौगोलिक रूप से संबंधित उत्पाद नाम को कानूनी संरक्षण देता है और दूसरे क्षेत्रों से आने वाले उत्पादों के लेबलों पर भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकता है। इस प्रकार, इसे यथोचित उत्पादों के प्रादेशिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए समुचित विपणन–यन्त्र के स्थानीय उत्पाद के रूप में देखा जाता है। पूर्व विद्यमान एशियाई जीआई के उदाहरणों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं : वियतनाम के बिन्ह थुआन ड्रेगन फ्रूट एवं फू कु ओक फिश सॉस, थाइलैण्ड की दोइ तुग कॉफी और चीन की लोन्जिंग चाय। बहुत से एशियाई देशों के ऐसे कृषि और खाद्य पदार्थ हैं जो जीआई सुरक्षण और अभिवृद्धि से लाभान्वित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत की दार्जिलिंग–चाय और इण्डोनेशिया की बाली कॉफी।

किसी नये जीआई को पंजीकृत करने के लिए उत्पादकों को अपने देश के बौद्धिक सम्पदा (इन्टेलेक्चुअल–प्रापर्टी) के इन्चार्ज के प्रशासन को आवेदन पत्र

अवश्य भेजना चाहिए। आवेदन पत्र में उत्पाद का भौगोलिक रूप से सम्बद्ध नाम का उल्लेख अवश्य हो – वह नाम जो पहले ही आमरूप से अथवा ऐतिहासिक सन्दर्भ के रूप में अवश्य इस्तेमाल होता हो। उत्पादक यह भी अवश्य प्रदर्शित करें कि उत्पाद अभिलक्षणों और उसके भौगोलिक स्थिति के बीच क्या–क्या संबंध हैं अथवा उत्पादन के क्षेत्र के बारे में क्या पारम्परिक जानकारी उपलब्ध है। इस आधार पर हुए उत्पाद और मूलान्तरण–प्रक्रियाओं के लिए कोड–ऑफ–प्रैक्टिस निश्चित करेंगे जिसके अनुपालन करने के लिए वे प्रतिबद्ध होते हैं। इसका अभिप्राय उत्पाद का अनुपम वैशिष्ट्य को निरूपित करना है जो स्थानीय उत्पादकों को अपने उत्पाद को भौगोलिक नाम से सम्बद्ध करने की अनुमति देगा। अन्ततः थर्ड पार्टी को निरीक्षण और सरकार की ओर से जो उत्पाद की गुणवत्ता के मामले में अन्तिम गारण्टी देने वाली होती है, उत्पाद की गुणवत्ता तथा मूलान्तरण–प्रक्रियाओं को प्रमाणित अवश्य करना चाहिए। एकबार पंजीकृत हो जाने पर, उत्पादक और निर्माता जो भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं तथा जो कोड ऑफ प्रैक्टिस का अनुपालन करते हैं, उत्पाद के निर्माता (ओरिजिनेटर) द्वारा निर्मित तथा सरकार द्वारा संरक्षित जीआई लेबल का उपयोग कर सकते हैं।

एशिया के सन्दर्भ में भौगोलिक-संकेतो के बारे में और अधिक सूचना

www.ecap-project.org/activitiesevents/at_regional_level/eu_asean_seminar_on_the_protection_and_promotion_of_geographical_indications_gis.html

यूरोप में भौगोलिक संकेतों पर सूचना के लिए :
www.ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_en.htm

एशिया में राष्ट्रीय सहायक संगठन एवं प्रमाणन् निकाय :
http://www.fao.org/es/esc/en/15/262/highlight_270.html

5.2 हलाल प्रमाणन्

हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है विधिपूर्ण। यह इस्लामिक विधि द्वारा अनुमत चीजों अथवा कार्यों को संदर्भित करता है। जब इसे खाद्य पदार्थ से जोड़ा जाता है तो आमतौर पर इसका इस्तेमाल यह उल्लेख करने के लिए किया जाता है कि कोई मुसलमान व्यक्ति क्या खा सकता है, क्या पी सकता है अथवा क्या इस्तेमाल कर सकता है? हलाल का विपरीतार्थ हराम होता है जिसका अरबी अर्थ होता है अविधिक या निषिद्ध। उत्पादकों तथा व्यापारियों पर यह बात लागू होती है कि वे इस संबंध में आश्वस्त हो जाएं कि सभी निवेश, पुर्जे, मशीनरी, उत्पादन संसाधन, भंडारण मे काम में लाए गए श्रमिक तथा उत्पादों की वितरण श्रृंखला को किसी ऐसी चीज जिसे हराम समझा जाता है उससे अलग रखा गया है। प्रोसेसेस के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ तथा उनके साथ-साथ गैर खाद्य उत्पाद भी आ जाते हैं-जैस औषधि और कॉस्मेटिक्स। एशिया में कृषि खाद्य पदार्थों के लिए हलाल-प्रमाणन् उत्तरोत्तर आवश्यक होता जा रहा है क्योंकि विश्व हलाल खाद्य पदार्थ के व्यापार का मूल्य 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका जाता है। विदेश यात्रा कर रहे या आयातित-खाद्य पदार्थों पर निर्भर मुल्कों में रह रहे अनेक प्रैक्सिंग मुसलमानों के लिए 'हलाल लोगो' कृषि खाद्य उत्पादों की खरीद हेतु एक विश्वसनीय गुणवत्ता चिन्ह बनता जा रहा है कि ये पदार्थ इस्लाम कानून के तहत विधिपूर्ण प्रमाणित हैं। प्रमाणित हलाल-विषयक उत्पादों की बाजार के वितरण केन्द्रों तथा रेस्तरांओं में अत्यधिक बिक्री होने के ज्वलन्त प्रमाण हैं। इस प्रकार, 'हलाल लोगो' कृषि-खाद्य-पदार्थ-चेन में स्टेकहोल्डरों द्वारा मुसलमान-उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए एक मार्केटिंग-उपकरण के रूप में देखा जा सकता है।

हलाल-अपेक्षाएं एक देश से दूसरे देश में थोड़ी-सी भिन्न होती हैं, किन्तु मलेशियाई हलाल प्रमाणन् इस्लामिक सुप्रणालियों के लिए उत्तरोत्तर एक अन्तर्राष्ट्रीय बेन्चमार्क होता जा रहा है। 'हलाल सर्टिफिकेट्स' अनुमोदित-इस्लामिक केन्द्रों द्वारा दिए जाते हैं ताकि उनका प्रमाणित-निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण, पंजीकरण और पर्यवेक्षण किया जा सके। प्रमाणन्-फीस प्रमाणक-निकाय के साथ तय की जाती है जो प्रायः अनुमोदित इस्लामिक सेन्टर होता है और जिसके पास प्रोडक्ट लेबलों के लिए रजिस्टर्ड 'लोगो' होता है। इस प्रमाणन् प्रक्रिया में यह जांच-पड़ताल की जाती है कि खाद्य-पदार्थ हलाल है, मुस्लिम उपभोक्ताओं के लिए समुचित है और प्रमाणित

उत्पादन एवं संसाधित-क्षेत्रों से आता है। दुनिया के हलाल प्रमाणन प्रधिकारियों तथा संस्थाओं के बीच प्रवर्तन के बारे में सहयोग की कमी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका इस समय इस मार्केट में भागीदारों को सामना करना पड़ता है।

हलाल प्रमाणन अपेक्षाओं पर और अधिक सूचना :

www.gov.my/MYGOV/BI/Directory/Business/BusinessByIndustry/Agriculture AndAgroBasedIndustry/AgroHalalCertification/

6. एशिया में जलजीव संवर्धित (अकुआकल्चर) उत्पादों का प्रमाणन्

परग्रहण–मत्स्यिकी तथा जलजीव संवर्धन द्वारा मत्स्य उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय जिन्स के रूप में व्यापक कारोबार होता है। वैश्विक मत्स्य पैदावार का लगभग 38 प्रतिशत सजीव भार ही निर्यात हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आता है। यह अनुमान है कि सम्पूर्ण मत्स्य–उत्पादन का लगभग आधा भाग अब जलजीव संवर्धन (अकुआकल्चर) द्वारा उत्पादित होता है और मत्स्य–उत्पादों का व्यापार उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होता जा रहा है। एशिया पेसिफिक क्षेत्र समस्त जलजीव संवर्धन उत्पादन का 80 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करता है और इसलिए इन उत्पादों के व्यापार में यह एक मुख्य क्षेत्र भी है।

जलजीव संवर्धन सेक्टर की बहुत सी बातें कृषि और पशुधन उत्पादन के साथ मेल खाती हैं (परग्रहण मत्स्यिकी सेक्टर की तरह नहीं) और इसके परिणामस्वरूप यह गुणवत्ता नियंत्रण तथा निर्यात माल के बाजार तक पहुंचने के संबंध में अन्य कृषि उत्पादों की तरह ही समान चुनौतियों का सामना करता है। उत्पादन प्रणाली के फलस्वरूप उद्भूत जलजीव संवर्धित उत्पादों के सुरक्षण से सम्बद्ध तेजी से बढ़ती हुई मांग खुदरा व्यापारी एवं उपभोक्ताओं को उन प्रक्रियाओं की तरफ बढ़ा रही है जिससे उपभोक्ता एवं क्रेता आश्वस्त हो सकें। कुछ जलजीव संवर्धन प्रणालियों में खाद्य पदार्थ सुरक्षण से असम्बद्ध, पर्यावरणिक तथा सामाजिक मामलों ने भी जनसाधारण में काफी चिन्ता उत्पन्न कर दी है। इससे कुछ क्रेताओं को विश्वसनीय उत्पादन के संबंध में और अधिक आश्वासन के लिए अनुरोध करना पड़ता है। हाल ही में इस प्रक्रिया से कुछेक जलजीव कृषि उतपादों के प्रमाणन् के लिए मांग में तेजी आई है और यह एक ऐसी प्रवृत्ति समझी जा रही है जो लगातार बढ़ती जा रही है। एशिया के विभिन्न देशों में खाद्य सुरक्षण की दिशा में बढ़ती हुई जागरूकता को देखते हुए उत्पाद प्रमाणन् प्रणालियां "जलजीव संवर्धन सुप्रणाली" मार्गदर्शिकाएं, आचार संहिताएं और सुरक्षित एवं संपोषित सामुद्रिक खाद्य पदार्थ उत्पादन के लिए प्रकियाएं बनाई गई हैं। ऐसी संवृद्धि प्रतिउत्पादक हो सकती है क्योंकि इससे क्रेता अथवा उपभोक्ता असमंजस्य में पड़ सकता है तथा लोगों में यह गलतफहमी पैदा हो सकती है कि वस्तुतः विभिन्न प्रमाणन् योजनाओं के द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है। मानकों तथा योजनाओं में तालमेल अथवा बेन्चमार्किंग की कमी होने से भी विभिन्न योजनओं के बीच

यथोचित तुलना नहीं हो पाती। जिसके फलस्वरूप प्रमाणित उत्पादों में मान्यता की कमी की संभाव्य–समस्या खड़ी हो जाती है।

जलजीव संवर्धित (अकुआकल्चरल) उत्पादों का प्रमाणन् अभी भी अपेक्षाकृत प्रारम्भिक अवस्था में हैं इस नियम–पुस्तक के प्रकाशन के समय, मत्स्य पालन समिति, जलजीव संवर्धन उपसमिति द्वारा किए गए अनुरोध के उत्तर में खाद्य एवं कृषि संगठन तथा एशिया–पेसिफिक के जलजीव संवर्धन केन्द्रों के नेटवर्क ने जलजीव संवर्धन प्रमाणन के लिए एक मार्गदर्शी–सिद्धान्त के विकास के लिए एक प्रक्रिया प्रारम्भ की है ताकि प्रमाणन् योजनाएं सामंजस्य की एक युक्तिसंगत डिग्री का प्रदर्शन कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि जलजीव संवर्धन प्रमाणन् को विश्वसनीय ढंग से शुरू किया जा सकता है। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त इसलिए भी अभीष्ट हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकसित एवं विकासोन्मुख मुल्क तथा छोटे और बड़े स्तर के ऑपरेशन के सभी जलजीव संवर्धित उत्पादक जलजीव संवर्धन प्रमाणन् द्वारा दिए जाने वाले अवसरों से समान रूप से लाभान्वित होते हैं और लघु स्तर के उत्पादकों के लिए अनावश्यक रूप से हानिकारक नहीं होते हैं।

इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर और अधिक सूचना

कृपया तकनीकी सचिव, खाद्य एवं कृषि संगठन के जलजीव संवर्धन की उपसमिति से सम्पर्क करें अथवा देखें

www.fao.org/fi/website/FIRetrieveAction.do?dom=org&xml= FI_org.xml&xp_nav=3.2

टिप्पणी :

बहुत से उत्पादकों के लिए, प्रमाणित कृषि–उत्पादों का बाजार बहुत जटिल है और अनेक प्रमाणन कार्यक्रमों से सम्बद्ध लाभ तथा अपेक्षाएं सदैव स्पष्ट नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त उत्पादकों को निर्यात–उत्पादों पर लागू मानकों के अनिवार्य अथवा स्वैच्छिक प्रकृति के बीच क्या अन्तर होता है इस बात की सदैव जानकारी नहीं होती है। इसलिए इस नियम–पुस्तक को इसक तरह तैयार किया गया है ताकि स्वैच्छिक–प्रमाणन् स्पष्ट हो जाए।

इसके विषय–वस्तु को पढ़ने के बाद, पाठक मुख्य स्वैच्छिक प्राइवेट प्रमाणन् योजनाओं, इन योजनाओं के महत्व, इन कार्यक्रमों के बीच अन्तर तथा इनके क्या लाभ हैं और इनमें क्या जटिलताएं हैं – जैसी बातों को समझ सकेंगे। इस पुस्तक में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान तथा एशिया–पेसिफिक क्षेत्र के अन्य देशों में मुख्य आयात विनियमनों के सूचना–स्रोतों की भी जानकारी दी गई है।

प्रतियां प्राप्त करने हेतु लिखें : खाद्य एवं कृषि संगठन – भारत
55 मैक्स म्यूलर मार्ग
नई दिल्ली 110003
पो. बॉ. 3088
भारत
दूरभाष : (+91) 11 246 28877
फैक्स : (+91) 11 246 20115
ई–मेल : FAO-IN@fao.org